दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन

(Social Attitudes and Behavioural Patterns towards Persons with Disabilities : A Sociological Study of Khiron Block of Raebareli District)

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विभाग से

एम0फिल0 की उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध प्रबन्ध

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

शोध निर्देशक
आचार्य जया श्रीवास्तव
विभागाध्यक्ष
समाजशास्त्र विभाग

शोधार्थी
ममता
एम0फिल0
नामांकन सं0–309 / 18

समाजशास्त्र विभाग
अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ–226025
2022

माता–पिता एवं गुरूजनों के चरणों में समर्पित

घोषणा पत्र

मैं ममता यह घोषणा करती हूँ कि मैंने **दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (Social Attitudes and Behavioural Patterns towards Persons with Disabilities : A Sociological Study of Khiron Block of Raebareli District** विषय पर शोध कार्य आचार्य जया श्रीवास्तव विभागाध्यक्ष, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। एम0फिल0 की उपाधि हेतु यह लघु शोध प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध इससे पहले इस विश्वविद्यालय में एम0फिल0 उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मै यह घोषित करती हूँ कि मेरा यह लघु शोध प्रबन्ध किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी से मुक्त है।

दिनांक : 30/6/2022

स्थान : LUCKNOW

शोधार्थी

Mamta

ममता

समाजशास्त्र विभाग,

अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर

विश्वविद्यालय, लखनऊ

CERTIFICATE

This is to certify that the Dissertation Titled दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का समाजशास्त्रीय अध्ययन (**Social Attitudes and Behavioural Patterns towards Persons with Disabilities : A Sociological Study of Khiron Block of Raebareli District** submitted by **Ms. Mamta** is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

The dissertation submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow satisfies all the requirements as stipulated in the *Master of Philosophy (M Phil) Regulations -2016 as amended in 2019* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University.

Jaya

Supervisor

Date: 30/6/2022

Place: Lucknow

Jaya

Head of the Department

आभार

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध ''दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' विषय पर शोध कार्य करने का उद्देश्य, ब्लॉक खीरों में दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों का पता लगाना है ।

मेरे शोध कार्य में आदरणीय गुरुजनों, परम पूज्य माता–पिता, भाई–बहन, इष्ट मित्रों का सादर योगदान व सहयोग प्राप्त होता रहा है मैं इनके प्रति सदैव कृतज्ञ रहूंगी मैं सहृदय आभार प्रकट करती हूँ ।

मैं इस शोध कार्य व विषय चयन के लिए निर्देशित करने वाली सहृदय आचार्य जया श्रीवास्तव की सदा ही आभारी रहूंगी जिनके कुशल निर्देशन में मेरी शोध यात्रा बिना किसी बाधा के अनवरत चलती रही।

आदरणीय विभागाध्यक्ष व मेरी मार्गदर्शिका आचार्य जया श्रीवास्तव, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार दुबे, डॉ0 बृजेश कुमार, प्रो0 मनीष के0 वर्मा, प्रोफेसर बिभूति भूषण मलिक, प्रोफेसर कामेश्वर चौधरी, डॉ0 अजय कुमार, डॉ0 सुनील गोरिया, व डॉ0 भूपेंद्र सिंह, अजय कुमार यादव, राय सर, आदि का समय–समय पर प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन व आपेक्षित सहयोग बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला जिसके लिए आप सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं ।

मैं अपनी पूज्य माता श्रीमती कमला देवी एवं पूजनीय पिता श्री अमरनाथ राजपूत जी को आभार व्यक्त करती हूं।

मैं अपनी अग्रज भाई शारदा प्रसाद राजपूत व श्रीकांत राजपूत जी को आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने मेरे शोध कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान वह सहयोग दिया है। मैं अपनी वरिष्ठ एवं इष्ट मित्रों को आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने मेरे शोध कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग देकर मेरे मनोबल को बढ़ाया व शोध कार्य को पूर्ण करने में अपना बहुमूल्य समय दिया।

मैं अपने इष्ट व वरिष्ठ मित्र, अनुराग कुमार, अग्निवेश पांडेय, श्रुति सिंह, आनंद कुमार, रिया सिंह, राहुल यादव, वर्षा सिंह, कोमल गौतम, दिलीप कुमार व अन्य इष्ट मित्र वंदना राजपूत, अमन राजपूत, आशीष कुमार, अनुराधा वर्मा, रेनू राजपूत सभी का आभार प्रकट करती हूं।

मैं अपने पिता श्री अमरनाथ राजपूत जी के प्रति सह्रदय हार्दिक आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने मेरे शोध कार्य हेतु मेरा उत्साह बनाए रखा जिसके लिए मैं सदैव कृतज्ञ रहूंगी।

तथ्यों के संकलन हेतु बाबासाहेब विश्वविद्यालय लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति एवं श्रीमती रिंकी शुक्ला जी को मैं सह्रदय से आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य को कम्प्यूटर टाइपिंग, डिजाइनिंग हेतु सहयोग प्रदान किया।

अंततः सभी गुरुजनों व मित्रों एवं सगे संबंधियों के प्रति पुनः श्रद्धा भाव प्रकट करती हूं जिनके असीम सहयोग एवं आशीर्वाद से मैं इस शोध कार्य को पूर्ण कर पाई।

Mamta
ममता

विषय–सूची

	पृष्ठ नं0
• घोषणा–पत्र	i
• प्रमाण–पत्र	ii
• आभार	iii-iv
• विषय–सूची	v
• सारणी–सूची	vi-viii
• चित्र–सूची	ix-x

अध्यायों का नाम

अध्याय–1: दिव्यांगजनों के प्रति सामजिक अभिवृत्तियां एवं व्यवहार प्रतिमान : एक परिचय	1–26
अध्याय– 2 : दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान की साहित्य की समीक्षा	27–34
अध्याय –3 : दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान : एक सैद्धांतिक ढ़ाचा	35–38
अध्याय– 4 : दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का विश्लेषण	39–83
अध्याय –5 : निष्कर्ष एवं सुझाव	84–91
• सन्दर्भ ग्रंथ सूची	92–94
• परिशिष्ट	95–106

सारणी–सूची

पृष्ठ नं0

सारणी संख्या–4.1	उत्तरदाताओं की उम्र	39
सारणी संख्या–4.2	उत्तरदाताओं का धर्म	40
सारणी संख्या–4.3	उत्तरदाताओं की शैक्षणिक प्रस्थिति	41
सारणी संख्या–4.4	उत्तरदाताओं का व्यवसाय	43
सारणी संख्या–4.5	उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय	44
सारणी संख्या–4.6	उत्तरदाताओं के अनुसार क्या दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए।	45
सारणी संख्या–4.7	उत्तरदाताओं के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति है।	46
सारणी संख्या–4.8	उत्तरदाताओं के अनुसार दिव्यांगता संक्रमण जैसी बीमारी है इस विषय में आपकी क्या राय है।	47
सारणी संख्या–4.9.	उत्तरदाताओं के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।	48
सारणी संख्या–4.10.	उत्तरदाताओं के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।	49
सारणी संख्या–4.11.	अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार होता है।	50
सारणी संख्या–4.12.	दिव्यांगजन समाज के विकास में सहायक होते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है।	51
सारणी संख्या–4.13.	अगर दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते हैं तो क्या तत्काल सुनवाई होती है इस विषय में आपकी क्या राय हैं।	52
सारणी संख्या–4.14.	दिव्यांग व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उचित उपचार प्रबंधन किया जाता है इस विषय में आपकी क्या राय है।	53

सारणी संख्या–4.15.	परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।	54
सारणी संख्या–4.16.	दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं।	55
सारणी संख्या–4.17.	दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को आप मानते हैं।	56
सारणी संख्या–4.18.	अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां होती हैं।	57
सारणी संख्या–4.19.	दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति होती हैं।	58
सारणी संख्या–4.20.	क्या दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए क्या आप इस बात से सहमत है।	59
सारणी संख्या–4.21.	आप दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं इसके क्या कारण हैं	60
सारणी संख्या–4.22.	समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन कैसा होता है।	62
सारणी संख्या–4.23.	दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम हो सकते हैं।	63
सारणी संख्या–4.24.	क्या आपकों दिव्यांग व्यक्ति के साथ रहना पसन्द है।	64
सारणी संख्या–4.25.	अगर आप दैनिक जीवन में दिव्यांग व्यक्ति से संपर्क रखते हैं तब उस दिव्यांग व्यक्ति के प्रति आपकी अभिवृति कैसी रहती हैं।	65
सारणी संख्या–4.26.	आपके अनुसार सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार होता है।	66
सारणी संख्या–4.27.	आपके अनुसार सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार होता है।	67
सारणी संख्या–4.28.	दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है।	68
सारणी संख्या–4.29.	जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं क्या उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए।	69

सारणी संख्या–4.30.	शारिरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखते हैं या उनमें भेदभाव विद्यमान रहता हैं।	70
सारणी संख्या–4.31.	दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिर्वतन आया है।	71
सारणी संख्या–4.32.	क्या दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखना चाहिए।	72
सारणी संख्या–4.33.	किस तरह के दिव्यंगजनों से आप अंतःक्रिया करने में समस्या का अनुभव नहीं करते हैं।	73
सारणी संख्या–4.34.	दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करने से पूर्व आप क्या–क्या अनुभव करते हैं।	74
सारणी संख्या–4.35.	आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार होता है।	75
सारणी संख्या–4.36.	शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में तत्पर रहते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है।	76
सारणी संख्या–4.37.	क्या वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में परिवर्तन हुआ है।	77
सारणी संख्या–4.38.	वर्तमान समय में दिव्यांगजनों में आत्मनिर्भता बढ़ी है इस विषय में आपकी क्या राय है।	79
सारणी संख्या–4.39.	दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह से परिलक्षित होते हैं।	80
सारणी संख्या–4.40.	दिव्यांगजनों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इस मुख्य कारक हैं।	81
सारणी संख्या–4.41.	दिव्यांगजन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अक्षम होते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है।	82
सारणी संख्या–4.42.	दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को कहां पाते हैं	83

चित्र–सूची

पृष्ठ नं0

चित्र संख्या–4.1	उत्तरदाताओं की उम्र	40
चित्र संख्या–4.2	उत्तरदाताओं का धर्म	41
चित्र संख्या–4.3	उत्तरदाताओं की शैक्षणिक प्रस्थिति	42
चित्र संख्या–4.4	उत्तरदाताओं का व्यवसाय	43
चित्र संख्या–4.5	उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय	44
चित्र संख्या–4.6	दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में लाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति	46
चित्र संख्या–4.7.	दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति	47
चित्र संख्या–4.8	परिवार में दिव्यांग व्यक्ति होने पर परिवार के सदस्यों का व्यवहार	50
चित्र संख्या–4.9	दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय प्रति समाज की अभिवृत्ति	56
चित्र संख्या–4.10	परिवार में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां	57
चित्र संख्या–4.11	दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृत्ति	58
चित्र संख्या–4.12	दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सन्दर्भ में	59
	उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	
चित्र संख्या–4.13	दिव्यांगजनों से विवाह ने करने के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	61
चित्र संख्या–4.14	समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	62
चित्र संख्या–4.15	दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	63
चित्र संख्या–4.16	दिव्यांगजनों के साथ रहने के पसन्द के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	64

चित्र संख्या–4.17	दिव्यांगजनों से संपर्क रखने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति	65
चित्र संख्या–4.18	सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार	66
चित्र संख्या–4.19	सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार	67
चित्र संख्या–4.20	दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव करना सीखने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के विचार	70
चित्र संख्या–4.21	दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिर्वतन	71
चित्र संख्या–4.22	दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के विचार	76
चित्र संख्या–4.23	दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में परिवर्तन	78
चित्र संख्या–4.24	दिव्यांगजनों में आत्मनिर्भता बढ़ने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	79
चित्र संख्या–4.25	दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया	80
चित्र संख्या–4.26	दिव्यांगजनों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन के सन्दर्भ में प्रतिक्रिया	81

अध्याय प्रथम

प्रस्तावना
दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियां एवं व्यवहार प्रतिमान : एक परिचय

प्रस्तावना

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियां एवं व्यवहार प्रतिमान : एक परिचय

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि :

प्रस्तुत अध्ययन दिव्यांगजनों के प्रति समाज में व्याप्त सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने का प्रयास करता है।

आम तौर पर यह माना जाता है कि दिव्यांग लोगों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं की एक बड़ी संख्या सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है (Antonak & Livneh, 2000)। दिव्यांगता एक जटिल घटना है जो न केवल किसी विशेष व्यक्ति के शरीर और मस्तिष्क को बल्कि उसके परिवेश को भी कष्टदायी बनाती है। दिव्यांगता अक्सर सामाजिक–सांस्कृतिक कलंक के साथ जुड़ी हुयी होती है जिसके कारण दिव्यांग लोगों को हाशिए पर रखा जाता है और बहिष्कृत किया जाता है। विकलांगता की अवधारणा को विभिन्न शब्दों में परिभाषित किया गया है क्योंकि इसके दृष्टिकोण और अनुभवों में कई अंतर–सांस्कृतिक भिन्नताएं (Cross-Cultural Differences) हैं (Saini and Kapoor, 2020)।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (2001) विकलांगता को एक व्यापक शब्द (Umbrella Term) के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें शारीरिक दुर्बलताओं के कई पहलुओं, गतिविधि की सीमाओं (Activity limitations) और प्रतिभागी प्रतिबंधों (participant restrictions) को शामिल किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (2001) का जैव–सामाजिक मॉडल कार्य, दिव्यांगता और स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, दिव्यांगता को किसी व्यक्ति की हानि और भौतिक–सामाजिक वातावरण जिसमें वह रहता है, के बीच नकारात्मक पारस्परिक विचार–विमर्श के परिणाम के रूप में स्वीकार करता है (Agmon et. Al. 2016)।

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2006) दिव्यांगता को "एक विकसित अवधारणा" के रूप में वर्णित करता है, जो दिव्यांग व्यक्तियों की मनोवृत्ति और पर्यावरणीय बाधाओं के पारस्परिक विचार–विमर्श के परिणामस्वरूप होता है जो दूसरों के साथ समानता के आधार पर समाज में उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालते हैं। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट है दिव्यांगता को केवल चिकित्सा अवधारणा के सन्दर्भ में नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक समग्र अनुभव के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें दिव्यांगजनों से सम्बंधित सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हों (Saini and Kapoor, 2020)।

हालाँकि, 16वीं शताब्दी के दौरान, लूथर और जॉन केल्विन जैसे ईसाइयों ने मानसिक रूप से मंद और अन्य दिव्यांगजनों को बुरी आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों के रूप में दर्शाया। इस प्रकार, उस समय के इन पुरुषों और अन्य धार्मिक नेताओं ने मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए दिव्यांगजनों का हमेशा आत्माओं को भगाने के साधन के रूप में प्रयोग किया (Thomas, 1957)।

19वीं शताब्दी में, सामाजिक डार्विनवाद के समर्थकों ने गरीबों और दिव्यांगजनों को राज्य सहायता का विरोध किया तथा उन्होंने दिव्यांगता के विरोध में यह तर्क दिया कि "अनफिट" का संरक्षण प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में बाधा डालेगा और संतान के लिए आवश्यक "सर्वश्रेष्ठ" या "योग्यतम" तत्वों के चयन में हस्तक्षेप करेगा (Hobbs, 1973)।

लुकोफ़ और कोहेन (1972) ने अपने अध्ययन में पाया कि कुछ समुदायों ने नेत्रहीनों पर प्रतिबंध लगाएं या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जबकि दूसरे समुदाय ने उन्हें विशेष विशेषाधिकार दिए (Chomba Wa Munyi Kenyatta, 2012)।

कई गैर–आकस्मिक समाजों में दिव्यांग व्यक्तियों की स्थिति की तुलना में, **हैंक्स एंड हैंक्स (1948)** ने व्यापक अंतर पाया। दिव्यांगजनों को कुछ संस्कृतियों द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया गया था, अन्य में वे बहिष्कृत थे, जबकि कुछ में उन्हें आर्थिक देनदारियों के रूप में माना जाता था और उनके परिवारों द्वारा उन्हें जीवित रखा

जाता था। अन्य दिव्यांग व्यक्तियों को आकस्मिक तरीकों से सहन और व्यवहार किया जाता था, जबकि अन्य संस्कृतियों में उन्हें सम्मानित दर्जा दिया जाता था और उनको अपनी पूर्ण क्षमता तक भाग लेने की अनुमति दी जाती थी (Chomba Wa Munyi Kenyatta, 2012)।

विकलांग व्यक्तियों के उपचार में भिन्नताएं अफ्रीका में दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह ही प्रकट होती हैं (Amoako, 1975)। पूर्वी अफ्रीका के छग्गा में, शारीरिक रूप से विकलांगों को बुरी आत्माओं को शांत करने वाला माना जाता था इसलिए, इस बात का ध्यान रखा गया कि शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को कोई नुकसान न पहुंचे। बेनिन (पूर्व में पश्चिम अफ्रीका में डाहोमी) के नागरिकों में से कांस्टेबलों को स्पष्ट शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों में से चुना गया था (Chomba Wa Munyi Kenyatta, 2012)।

बेनिन के कुछ समुदायों में, विसंगतियों के साथ पैदा हुए बच्चों को अलौकिक शक्तियों द्वारा संरक्षित के रूप में देखा जाता था। वैसे ही उन्हें समुदाय में स्वीकार किया गया क्योंकि उन्हें सौभाग्य लाने वाला माना जाता था (Wright, 1960)।

घाना में विकलांग व्यक्तियों की धारणा में विविधता मौजूद है जैसा कि वे अफ्रीका के अन्य स्थानों में करते हैं। उदाहरण के लिए, छह अंगुलियों के साथ पैदा हुए शिशु को जन्म के समय मार दिया गया था (Rottray 1952; Sarpong 1974)। गंभीर रूप से मंद बच्चों को नदी के किनारे या समुद्र के पास छोड़ दिया गया था। ताकि ऐसे बच्चे वापस न आ सकें, जो कि उनकी अपनी तरह का माना जाता था (Danquah, 1977)।

जैसा कि **गोफमैन (1963 पृष्ठ 2**) ने कहा है कि, "समाज व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के साधन स्थापित करता है और इन श्रेणियों के सदस्यों के लिए सामान्य और स्वाभाविक महसूस किए जाने वाले गुणों के पूरक हैं।" जब किसी अजनबी का पहली बार सामना होता है (किसी व्यक्ति या समूह द्वारा), तो निर्णय अक्सर शारीरिक बनावट पर आधारित होते हैं (Chomba Wa Munyi Kenyatta, 2012)।

जब कोई कलंकित श्रेणी में आता है या उसके पास अवांछनीय गुण होते हैं, तो इस श्रेणी के लोग कलंकित व्यक्ति का अवमूल्यन करते हैं, भेदभाव की भिन्नता का अनुभव करते हैं, और मूल के आधार पर अपूर्णता की एक विस्तृत श्रृंखला को लागू करते हैं (Goff man, 1963 pg 5 Op Cit.)।

राइट (1960) ने कलंक के विस्तार की इस घटना का वर्णन किया है, जब एक दिव्यांग व्यक्ति को न केवल दिव्यांगता के विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में, बल्कि व्यक्तित्व और समायोजन जैसी अन्य विशेषताओं के संबंध में भी दिव्यांग के रूप में देखा जाता है।

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का 2.21% जनसंख्या है। आम तौर पर, भारतीय समाज में लोगों का दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति एक अस्पष्ट रवैया है। किसी दिव्यांग व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय, लोग एक टाल–मटोल (सहायता करनी चाहिएं की नहीं) जैसी विरोधाभासी स्थिति के रूप में फंस जाते हैं और चिंतित महसूस करते हैं। विभिन्न धार्मिक विचारधाराएं और मान्यताएं अक्सर भारत में दिव्यांगता के प्रति सामाजिक धारणा में भ्रम पैदा करती हैं (Dalal, 2002)। एक सदी से भी अधिक समय से, भारत में दिव्यांगता उन दर्शन और विचारधाराओं से जुड़ी हुई है जो हमारे सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों में गहराई से निहित हैं। ये दर्शन और विचारधाराएं हमारे विश्वासों, दृष्टिकोण और धारणाओं के माध्यम से प्रकट होती हैं जो बड़े पैमाने पर दिव्यांग लोगों की हमारी समझ को नियंत्रित करती हैं। भारत में दिव्यांगजनो को अक्सर "व्यक्तिगत त्रासदी" या "व्यक्तिगत समस्याओं" वाले लोगों के रूप में माना जाता है जो हमारी दया और सहानुभूति के पात्र हैं (Sukhramani and Verma, 2013)।

अभिवृत्तियां दिव्यांगजनों के जीवन में बाधाओं को उत्पन्न या दूर कर सकती है। अभिवृत्तियो से तात्पर्य मन की बदलती भावनात्मक स्थिति से है। यह याद रखना चाहिए कि अभिवृत्तियों का न केवल शब्द या मुंह से व्यक्त किया जाता है, बल्कि चेहरे की अभिव्यक्ति और व्यवहार से अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है।

जिस व्यक्ति में शारीरिक दोष समझा जाता है उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया यह होती है कि वह एक अलग व्यक्ति है जिसके पास किसी अन्य शारीरिक क्षमता की कमी है।

NCSL (National Conference of State Legislatures 2019) की एक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगता को मोटे तौर पर किसी भी शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता या हानि के रूप में समझा जाता है जो किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक प्रमुख जीवन गतिविधियों को काफी हद तक प्रभावित करती है। यह मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। इसमें शारीरिक गतिविधि और संचार संज्ञानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है जैसे, हाथ से काम करना. देखना, सुनना ,खाना और चलना आदि।

1.2 दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियां :

अभिवृत्तियां एंव व्यवहार प्रतिमान लोगों के देखने का एक नजरिया है। जिस नजरिये से व्यक्ति अपने विचारों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। यह मूल्यांकन समाज में सकारात्मक या नकारात्मक रूप में होता हैं। दिव्यांगता हमारे समाज की एक जटिल समस्या के रूप में है जो दिव्यांगजनों को जीवन पर्यंत चुनौतियों से जूझने के लिए मजबूर करती है। दिव्यांगता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका कोई शारीरिक अंग न होना या अंग का बेकाम होना, शारीरिक व मानसिक रूप से किसी प्रकार की विकृति से पीड़ित होना दिव्यांगता कहलाती है।

चार्ल्स ऑसगूड के अनुसार अभिवृत्तियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है।

1. नैतिक आयाम का मूल्यांकन : अच्छा या बुरा होता है
2. शक्ति आयाम : मजबूत या कमजोर
3. गतिविधि आयाम : सक्रिय या निष्क्रिय।

मर्फी (1990) दिव्यांगता को सामाजिक संबंध की बीमारी, के रूप में बताते हैं और कहते है कि दिव्यांगजनों और शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध तनावपूर्ण और समस्याग्रस्त हैं और यह स्थिति का सामना हर

दिव्यांग व्यक्ति करता है। वे जिज्ञासापूर्ण दूसरों के बहुत से प्रश्नों का सामना करते हैं और उनका उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। यह सत्य है कि पूर्वाग्रह, भेदभाव और परिहास के रूप में सामाजिक बाधाओं का सामना कर रहे हैं एवं समूह में रहते हुए वे दया के पात्र बन जाते हैं। वे सामाजिक रूप से अलग–थलग रहते हैं जोकि सामाजिक अलगाव (Social Alienation) से परिलक्षित होता है (Umer Jan Sofi and Reeba Mariyam Cherian. 2011) ।

यहां शोधार्थी ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि समाज दिव्यांगजनों के प्रति अपना व्यवहार व अभिवृत्ति किस प्रकार की रखता हैं। और इन अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों का दिव्यांगजनों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्ति किसी व्यक्ति या समूह का किसी के बारे में निर्णय या विचार है कि व्यक्ति अपने विचारों का कैसे मूल्यांकन करता है। यह सत्य है कि समाज से निःशक्तता शब्द को से हटाया नहीं जा सकता है। शारीरिक या मानसिक क्षति के कारण निःसक्तता निर्मित होती है। अर्थात् कार्यात्मक क्षति लंबे समय तक व्यक्ति के दैनिक क्रियाकलापों में बाधा बन जाती है इस अवस्था को निःसक्तता कहा जाता है। दिव्यांगता हमारे समाज की एक जटिल समस्या के रूप में है जो दिव्यांगजन को जीवन पर्यंत चुनौतियों से जूझने के लिए मजबूर करती है।

20 वीं शताब्दी से पहले सामाजिक दृष्टिकोण इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते थे कि दिव्यांगजन अस्वस्थ, दोषपूर्ण थे। सदियों से समाज ने समग्र रूप से दिव्यांगजनो को भय और दया के रूप में माना है समाज का प्रचलित रवैया यह था कि ऐसे व्यक्ति समाज में भाग लेने या योगदान करने में असमर्थ है और उन्हें कल्याणकारी या धमार्थ संगठनों पर निर्भर रहना चाहिए। 18 वी सदी के उत्तरार्द्ध से पहले मानसिक मंदता, मस्तिष्क पक्षाघात, आत्मकेंद्रित, और मिर्गी वाले लोग घर पर ही रहते थे और उनकी देखभाल उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाती थी। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy) उतनी लंबी नहीं थी जितना आज है लेकिन अभी भी किसी भी समाज में दिव्यांगजनों के लिए जीवन निर्वाह करना एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। Umer Jan Sofi and Reeba Mariyam Cherian (2011)

1.3. दिव्यांगजनों की समाज में प्रस्थिति : ऐतिहासिक परिपेक्ष्य–

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे देखें तो पिछले 40 से 50 वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के प्रबंधन और उपचार के संबंध में हमारे समाज में कई बदलाव हुए हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं देखभाल सिर्फ परिवार में ही नहीं हो रही है बल्कि संस्थागत (Institutional) देखभाल भी हो रही है। दिव्यांग व्यक्ति संस्थानों के बजाय अब समुदाय में रहते हैं। बीसवीं सदी से पहले प्रचलित सामाजिक दृष्टिकोण इस विचार को प्रतिबिंबित करते थे कि दिव्यांग व्यक्ति अस्वस्थ, दोषपूर्ण थे। सदियों से समाज ने समग्र रूप से इन दिव्यांगजनों को भय और दया की वस्तुओं के रूप में माना है समाज का प्रचलित रवैया यह था कि दिव्यांगता पापों का दंड है दिव्यांगजन समाज में भाग लेने या योगदान करने में भी असमर्थ माने जाते थे (Burtner, P. 2017) ।

1.4. दिव्यांग शब्द की शुरूआत :

विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसम्बर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 3 दिसम्बर 1992 को हुई थी। 'डिफरेन्टली एबल्ड' शब्द 1980 में चलन में आया। अमेरिका की डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए हैंडीकैप की जगह डिफरेंटली एबल्ड शब्द के इस्तेमाल पर जोर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसम्बर 2015 को मन की बात कार्यक्रम में विकलांगता नाम को बदलकर दिव्यांग नाम दिया उनके सुझाव के बाद यह शब्द चलन में आया।

1.5. विकलांगता के कारण : समाज में व्याप्त दिव्यांगता के कई कारण है जो निम्नलिखित है–

(i) आनुवांशिक कारण– जीन और आनुवांशिक विरासत में असामान्यताएं बच्चों में बौद्धिक दिव्यांगता का कारण बन सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, डाउन सिंड्रोम सबसे आम आनुवांशिक स्थिति है, और डाउन सिंड्रोम वाले लगभग 6,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष पैदा होते हैं। कभी–कभी, बीमारियों और एक्स–रे के संपर्क में आने से आनुवांशिक विकार हो सकता है।

(ii) पर्यावरण/जीवन की घटनाएँ : गर्भवती माताओं में गरीबी और कुपोषण महत्वपूर्ण खनिजों की कमी और अजन्मे बच्चों में विकृति का परिणाम हो सकता है। जन्म के बाद, गरीबी और कुपोषण बच्चों में महत्वपूर्ण अंगों के खराब विकास का कारण बन सकता है, जो अंततः दिव्यांगता का कारण बन सकता है। दवाओं, शराब, तम्बाकू, कुछ जहरीले रसायनों और बीमारियों, टोक्सोप्लाज़्मोसिज़, साइटोमेगालोवायरस, रूबेला और सिफलिस का एक गर्भवती माँ के संपर्क में आने से बच्चे को दिव्यांगता हो सकती है। बचपन की बीमारियों जैसे कि एक खांसी, खसरा और चिकन पॉक्स से मेनिन्जाइटिस और एन्सेफलाइटिस आदि दिव्यांगता के कारण हो सकते है। इससे बच्चे के मस्तिष्क को नुकसान हो सकता है। लेड और मरकरी जैसे जहरीले पदार्थ मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

(iii) दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की घटनाएं : दुर्भाग्यपूर्ण जीवन की घटनाएं जैसे तालाब या नदी में डूबना, यातायात दुर्घटनाएं, या ऊचे स्थान से गिरना आदि के परिणामस्वरूप लोग अपनी दृष्टि, श्रवण, अंगों और अपने शरीर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को खो सकते हैं और दिव्यांगता का कारण बन सकते हैं।

(iv) दुर्गम वातावरण : कभी–कभी समाज कुछ अशक्त लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करना मुश्किल बना देता है। जब समाज बुनियादी ढांचे जैसे घरों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को विकसित करता है, बिना हानि के लोगों पर विचार किया जाता है, तो मूल रूप से उनके लिए खुद की देखभाल करना असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सीढ़ियों के अलावा एक स्कूल रैंप के साथ बनाया गया है, तो व्हीलचेयर वाले लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इस तरह, उनकी दुर्बलता बदतर नहीं बनी है। (World Health Organization 2022)।

1.6. दिव्यांगता के प्रकार : दिव्यांगता के बहुत से प्रकार है जो इस प्रकार है–

I. अंधापन

II. कम दृष्टि

III. कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति

IV. श्रवण दोष

V. लोकोमोटर विकलांगता

VI. बौनापन

VII. बौद्धिक अक्षमता

VIII. मानसिक बीमारी

IX. आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार

X. सेरेब्रल पाल्सी

XI. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी

XII. पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियां

XIII. विशिष्ट सीखने की अक्षमता

XIV. मल्टीपल स्केलेरोसिस

XV. भाषण और भाषा विकलांगता

XVI. थैलेसीमिया

XVII. हीमोफीलिया

XVIII. सिकल सेल रोग

XIX. बहरा–अंधापन सहित कई विकलांगताएं

XX. एसिड अटैक पीड़ित

XXI. पार्किंसंस रोग आदि।

1.7. दिव्यांगजनों की सामाजिक चुनौतियां :

(क). शारीरिक शोषण (भोजन करने को रोकना, मारना, , धक्का देना)

(ख). उपेक्षा (आवश्यकता पड़ने पर सहायता रोकना, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ सहायता) अन्य समस्याएं

(ग).यौन शोषण मानसिक दिव्यांगता के साथ भी जुड़ा हुआ है।

(घ).मानसिक या भावनात्मक शोषण बाधा और प्रतिबंधात्मक प्रथाएं (विद्युत व्हीलचेयर को बंद करना ताकि कोई व्यक्ति स्थानांतरित न हो सके)

(ड.).वित्तीय हेरफेर (अनावश्यक शुल्क चार्ज करना, पेंशन पर पकड़, मजदूरी, आदि कानूनी या नागरिक दुर्व्यवहार (सेवाओं तक सीमित पहुंच)

(च). संस्थागत चुनौतियाँ (कथित समर्थन आवश्यकताओं के कारण उचित सेवा तक पहुंच से वंचित)

(छ). निष्क्रिय उपेक्षा (पर्याप्त भोजन प्रदान करने में एक देखभालकर्ता की विफलता, आश्रय) व्यवहार सम्बन्धी चुनौतियां दिव्यांगजन आमतौर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं के अन्य कर्मचारियों द्वारा पूर्वाग्रह, कलंक और भेदभाव के अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं कई सेवा प्रदाताओं के पास विकलांग लोगों के अधिकारों और उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के बारे में सीमित ज्ञान और समझ है जिसके कारण दिव्यांगजनों को अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

1.8. दिव्यांगजनों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं एवं चुनौतियां :

कई स्वास्थ्य सेवाओं में दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए नीतियां नहीं हैं। ऐसी नीतियों में लंबे और लचीले नियुक्ति समय की अनुमति देना, आउटरीच सेवाएं प्रदान करना और दिव्यांगजनों के लिए लागत कम करना आदि शामिल हो सकता है।

दिव्यांग महिलाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और सूचनाओं में विशेष बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता अक्सर गलत धारणा बनाते हैं कि दिव्यांग महिलाएं अलैंगिक हैं या मां बनने के योग्य नहीं हैं। दिव्यांगजनों से शायद ही कभी उनकी राय मांगी जाती हो या दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान के बारे में निर्णय लेने में शामिल किया जाता हो ।

दैनिक जीवन से सम्बंधित चुनौतियां स्वास्थ्य सेवाएं और गतिविधियां अक्सर उस स्थान से बहुत दूर स्थित होती हैं जहां अधिकांश लोग रहते हैं या ऐसे क्षेत्र में जहां पहुंच योग्य परिवहन विकल्प उपलब्ध नहीं हैं इमारतों या सेवाओं के प्रवेश द्वार पर सीढ़ियाँ और फर्श पर स्थित गतिविधियाँ जहाँ लिफ्ट की पहुँच नहीं है, दुर्गम हैं।

दुर्गम शौचालय, मार्ग, दरवाजे और कमरे जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को समायोजित नहीं करते हैं, या गतिशीलता विकलांग लोगों के लिए नेविगेट करना मुश्किल हैं।

परीक्षा और कुर्सियों सहित निश्चित ऊंचाई के फर्नीचर आदि का दिव्यांगजनों को उपयोग करना मुश्किल हो सकता है।

स्वास्थ्य सुविधाओं और गतिविधियों के लिए अन्य स्थानों पर अक्सर खराब रोशनी होती है, स्पष्ट संकेत नहीं होते हैं, या भ्रमित करने वाले तरीके से बिछाए जाते हैं जिससे लोगों के लिए अपना रास्ता खोजना मुश्किल हो जाता है।

संचार करने में असमर्थ श्रवण बाधित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में एक प्रमुख बाधा स्वास्थ्य सेवाओं पर लिखित सामग्री या सांकेतिक भाषा दुभाषियों की सीमित उपलब्धता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या नुस्खे सुलभ प्रारूपों में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं, जिसमें ब्रेल या बड़े दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक बाधा प्रस्तुत जाता है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को जटिल तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है या बहुत सारे शब्दजाल का उपयोग किया जाता है। आसान–से–आसान प्रारूपों में स्वास्थ्य जानकारी उपलब्ध कराना जिसमें सादा भाषा और चित्र या अन्य दृश्य संकेत शामिल हैं संज्ञानात्मक हानि वाले लोगों के लिए पालन करना आसान बना सकता है।

आर्थिक चुनौतियां कम आय वाले देशों में आधे से अधिक दिव्यांग व्यक्ति उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं कर सकते वित्तीय सहायता के अभाव में दिव्यांगजनों के प्रति दुर्व्यवहार की अधिक संभावना रहती हैं दिव्यांगता से ग्रस्त बहुत से दिव्यांगजन यह भी रिपोर्ट करते हैं कि स्वास्थ्य सेवा को प्राप्ति के लिएं यात्रा करने और दवा के लिए भुगतान करने से जुड़ी लागतों को वहन करने में असमर्थ हैं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को देखने के लिए भुगतान की लागत को तो छोड़ ही देते हैं जिससे दिव्यांगजनों की समस्या का सामना करना पड़ता है (WHO Report 2020-2021)।

1.9. दिव्यांगता का सामाजिक निर्माण (Social Construction of Disability) :

दिव्यांगता का सामाजिक निर्माण से तात्पर्य है कि दिव्यांगता का निर्माण जैविक अंतरों के बजाय सामाजिक अपेक्षाओं और संस्थानों द्वारा किया जाता है। समाज और संस्थानों द्वारा दिव्यांगता के निर्माण के तरीकों पर प्रकाश डालना इस विचार का एक मुख्य केंद्र बिंदु है। जैसे हम जानते है कि जाति और लिंग जैविक रूप से निश्चित नहीं हैं और न ही दिव्यांगता है बल्कि यह समाज द्वारा संरचित है; ठीक उसी प्रकार से दिव्यांगता शारीरिक और मानसिक अक्षमता के अतिरिक्त समाज द्वारा भी संरचित है।

1970 के दशक की शुरुआत के आसपास, समाजशास्त्रियों, विशेष रूप से एलियट फ्रिडसन ने तर्क देना शुरू किया कि लेबलिंग सिद्धांत और सामाजिक व्यवहार को दिव्यांग अध्ययनों पर लागू किया जा सकता है। इससे दिव्यांगता सिद्धांत का सामाजिक निर्माण हुआ। दिव्यांगता का सामाजिक निर्माण यह विचार है कि दिव्यांगता का निर्माण आदर्श से नकरात्मक प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। स्वास्थ्य पर विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सा पेशेवरों और संस्थानों में स्वास्थ्य और शारीरिक और मानसिक मानदंडों को परिभाषित करने की क्षमता होती है। जब किसी व्यक्ति में ऐसी समस्या होती है जो स्वास्थ्य की सामाजिक परिभाषा तक पहुँचने से एक हानि, प्रतिबंध या सीमा पैदा करती है, तो व्यक्ति को दिव्यांगता के रूप में लेबल किया जाता है। इस विचार के तहत, दिव्यांगता को शरीर की भौतिक विशेषताओं से नहीं बल्कि स्वास्थ्य के सामाजिक सम्मेलन से परिभाषित किया जाता है।

1.10. दिव्यांग कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य व योजनाएं :

दिव्यांगजनों की समस्या व चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और प्रदेश सरकार कई स्तरों पर न केवल उन्हें सामाजिक व आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं बल्कि एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जिसमें वह अपने आत्मबल को और मजबूत बनाकर समाज के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर सकें भारत में दसवीं पंचवर्षीय योजना के 2002–2007 में इस पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है और एक त्रिसूत्रीय रणनीति भी बनाई गई (निगम और अवस्थी, 2011ः पृष्ठ सं. 273)।

1.11. दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं :

वर्तमान समय में सभी वर्गों के विकास पर बल दिया जा रहा है जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण, दलित उत्थान, जाति, अस्पृश्यता उन्मूलन और शिक्षा का समान अधिकार आदि सभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है उसी प्रकार से दिव्यांगजनों की समस्याओं में कमी लाने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है दिव्यांगजनो की समस्या में कमी लाने हेतु अनेको योजनाएं संचालित की गई हैं जो निम्नलिखित है–

(i).राज्य परिवहन निगम की बसों में दिव्यांग जनों को निशुल्क यात्रा की सुविधा।

(ii). दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण के लिए अनुदान की सुविधा।

(iii). स्वयं सहायता समूह ऋण योजना अनुदान। दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन योजना यह योजना वर्ष 1979–80 से प्रदेश में प्रारंभ की गई अनुदान की धनराशि वर्ष 2007–08 से रुपए 300 प्रतिमा कर दी गई थी।

(iv). निराश्रित वृद्धा दिव्यांगों और विधवाओं को पेंशन योजना इसका आरंभ 1993 में हुआ था।

(v). नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान योजना इसका प्रारंभ वर्ष 1993 से 94 में किया गया इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिसके अंतर्गत रु 100 धनराशि वितरित की जाती थी।

(vi). दिव्यांग छात्रों तथा दिव्यांगजनों के बच्चों को छात्रवृत्ति सुविधा।

(vii). शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग व श्रवण सहायता यंत्र क्रय करने हेतु अनुदान।

(viii). राष्ट्रीय दिव्यांगता कोष योजना।

(x). दिव्यांग का छात्रवृत्ति योजना।

(xi). अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों की योजनाएं (निगम और अवस्थी, 2011: पृष्ठ सं. 274–275)।

(क). अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों की योजनाएं :

राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और कार्यक्रम बनाने में संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है 9 दिसंबर 1975 को संयुक्त राष्ट्र ने दिव्यांग व्यक्ति के अधिकारों की घोषणा की। दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी मानवीय, गरिमा के सम्मान का अंतर्निहित अधिकार है वह अन्य मनुष्यों के रूपों में नागरिक और राजनीतिक अधिकार धारण कर रहे हैं दिव्यांगजनों को चिकित्सा और सामाजिक पुनर्वास, शिक्षा के लिए कृत्रिम और ऑर्थोटिक उपकरणों सहित चिकित्सा मनोवैज्ञानिक और कार्यक्रम उपचार का अधिकार है, जो उन्हें अपनी क्षमताओं और कौशल को अधिकतम दीक्षित करने में सक्षम करेगा उन्हें एक सभ्य जीवन जीने के लिए आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने और बनाए रखने या उपयोगी उत्पादक और लाभकारी व्यवसाय में संलग्न होने का अधिकार है दिव्यांगजनों को अपने परिवारों के साथ रहने और सभी सामाजिक रचनात्मक या मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है उन्हें सभी शोषण नियमों और भेदभाव पूर्ण अपमानजनक या अपमानजनक प्रकृति के सभी उपचारों से संरक्षित किया जाना चाहिए घोषणा करता है दिव्यांग व्यक्ति, नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, क्षेत्र और राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों का आनंद ले सकता है।

(ख). एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (E.S.C.A.P.) : विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी बाधा मुक्त अधिकार आधारित समाज बनाने के लिए सदस्य राज्यों और स्वयं सहायता संगठनों की सरकारों की सहायता करता है यह इस क्षेत्र में सरकारों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करता है ताकि विकास प्रक्रिया में दिव्यांग लोगों की भागीदारी हो।

(ग). अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन : अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय पर मान्यता प्राप्त मानव और श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है यह

संगठन दिव्यांग के लिए कार्यक्रम, दिव्यांग महिलाओं और पुरुषों के लिए काम को बढ़ा देता है और दिव्यांग लोगों को श्रम बाजार में पूरी तरह से भाग लेने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दृष्टिकोण समान अवसर, समान व्यवहार, गैर–भेदभाव और मुख्यधारा के सिद्धांतों पर आधारित है।

(घ). विश्व स्वास्थ्य संगठन : यह दिव्यांगता और दिव्यांगजनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिएं उन नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और सदस्य राज्यों का समर्थन करता है जो सभी दिव्यांग लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता और अवसरों की समानता को बढ़ाते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करता है। (C.B.R.) का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांग लोगों को उनकी नियमित सेवाओं और अवसरों तक पहुंचने और समुदायों और समाजों के भीतर पूर्ण सामाजिक एकीकरण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह उद्देश्य पुनर्वास की व्यापक अवधारणा का उपयोग करता है जिसमें अवसरों की समानता और सामुदायिक एकीकरण शामिल है ।

(ङ). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम : यू0एन0डी0पी0 संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है जो लोगों को बेहतर जीवन बनाने में मदद करने के लिए परिवर्तन की वकालत करता है और देशों को ज्ञान अनुभव और संसाधनों से जोड़ता है इसके 6 फोकल क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को लक्षित लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाता है।

(च). संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन : इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना जिसके लिए स्कूलों को सभी बच्चों को उनकी शारीरिक बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक भाषा या अन्य अक्षमताओं की परवाह किए बिना समायोजित करने की आवश्यकता है ।

(छ). विश्व बैंक : दिव्यांग और विकास कार्यालय को समर्थन देने के लिए कर्मचारियों को जोड़ रहा है। डब्ल्यू0बी0 दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को जाने के लिए विभिन्न शोध और कार्यक्रम आयोजित करता है (Singal, N., & Jain, A. 2012.: pp. 167-180)।

(1) 1986 के एयर कैरियर एक्सेस एक्ट ने हवाई यात्रा उद्योग में भेदभाव को प्रतिबंधित किया।

(2) 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504 किसी भी संघ समर्थित कार्यक्रम में "अन्यथा योग्य" दिव्यांगजनों के खिलाफ भेदभाव को प्रतिबंधित करती है।

(3) सभी विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा अधिनियम (पी0एल0 94–142) 1975 में पारित किया गया था।

(4) राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने 1965 में मानसिक मंदता पर एक स्थायी अध्यक्षीय समिति की स्थापना की

(5) मेडिकेड और मेडिकेयर की स्थापना 1960 के दशक के मध्य में हुई थी, जिससे कई विकासात्मक रूप से दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए अपने समुदायों चिकित्सा और अन्य दीर्घकालिक देखभाल को सुरक्षित करना संभव हो गया।

(6) 1973 के पुनर्वास अधिनियम में शामिल एक जनादेश के लिए राज्यों को गंभीर रूप से दिव्यांगों की व्यावसायिक पुनर्वास समस्याओं को पहली प्राथमिकता के रूप में संबोधित करना आवश्यक था।

(7) दिव्यांगजनों (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 जो ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण और सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रदान करता है।

(8) ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धि व बहुदिव्यांगता के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 में चारों वर्गों के कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु सहसंभव वातावरण के निर्माण का प्रावधान है।

(9) भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992, पुनर्वास सेवाओं के लिए मानव–बल विकास का प्रयास करता है।

(10) संविधान का अनुच्छेद 41 निःशक्तजनों को लोक सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है।

(11) भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 ।

(12) ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मानसिक बीमारी और बहुदिव्यांगों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 ।

(13) मानसिक स्वास्थ अधिनियम, 1987 ।

(14) शारीरिक पुनर्वास जिसमें आरंभिक पहचान तथा उपचार परामर्श व चिकित्सा तथा मदद व उपकरण का प्रावधान है।

(15) व्यवसायिक शिक्षा समेत शैक्षणिक पुनर्वास।

(16) समाज में गरिमामय जीवन जीने के लिए आर्थिक पुनर्वास ।

1.12. दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान :– दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित है–

1. शारीरिक दिव्यांग संस्थान नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून।
3. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सिकंदराबाद।
4. राष्ट्रीय आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता।
5. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई।
6. राष्ट्रीय बहु विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई ।
7. राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक (Meera Kumar et.al)

1.13. दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए किए गए कार्यों का विवरण :

(i). स्कूलों को (भवनों, मार्गों, शौचालयों, खेल के मैदानों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों इत्यादि को अवरोध मुक्त करना ताकि सभी प्रकार के दिव्यांग वहां पहुंच सकें।

(ii). पढ़ाने के माध्यम तथा विधि को सही तरह से अपनाया जाएगा ताकि वे अधिकतर दिव्यांगता परिस्थितियों पर खरा उतरे।

(iii). स्कूल या कई स्कूलों के आसानी से पहुंच में आने वाले केंद्रों पर पढ़ाने/सिखाने के तकनीकी/पूरक/विशेष प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी।

(iv). स्कूलों में माता–पिता–शिक्षक के बीच परामर्श तथा परेशानी से निपटने की प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

(v). प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में समावेशिक शिक्षा का मॉडल स्कूल खोला जाएगा, ताकि दिव्यांगजनों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

(vi). वयस्क शिक्षा/सीखने में गंभीर रूप से अक्षम वयस्कों के लिए अवकाश केंद्र को प्रोत्साहित किया जाएगा।

• दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995, दिव्यांग व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारो का संरक्षण और पूर्ण भागीदार अधिनियम 1995, 7 फ़रवरी 1996, को लागू हुआ (Act and Policies-Niepid, 2021)।

1.14. वर्तमान समय में दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों की स्थिति :

वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के हित में कई कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिससे वह लाभान्वित हो रहे हैं योजनाओं का लक्ष्य समाज में समानता को स्थापित करना है दिव्यांग छात्र व छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किया गया है दिव्यांग छात्र विषमताओं के कारण शिक्षण–प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं उनका जीवन स्वावलंबी नहीं बन पाता है अतः इच्छुक छात्रों को इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति देकर शिक्षा के माध्यम से स्वावलंबी बनाया जाता है। दिव्यांगजनों हेतु आश्रित कर्मशालाये जो शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों के लिए राजकीय प्रशिक्षण केंद्र एवं आश्रित कर्मशालाये टिहरी, गढ़वाल, पिथौरागढ़ एवम् नैनीताल में संचालित है इस कर्मशालाओं में दिव्यांग व्यक्तियों को मोमबत्ती,साबुन, हथकरघा, स्वेटर, शाल बुनाई का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2008–09 से कंप्यूटर संचालित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है । दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है पेंशन के रूप में दिव्यांगजनों को रू0 500 की धनराशि प्रति माह प्राप्त होती थी जो कि यह धनराशि 2016 से पूर्व थी वर्तमान समय

में इस धनराशि को बढ़ाया गया है जो कि रू0 1000 प्रति माह है इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना सरकार ने अनगिनत योजनाओं को लागू किया है जिससे दिव्यांगजनों को बेहतर वातावरण प्रदान किया जा सके और उन्हे जीवन निर्वाह की समस्या ना रहे।

1.15. शोध अध्ययन की समस्या :

शोधार्थी का शोध शीर्षक दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवम् व्यवहार प्रतिमानो का रायबरेली जिले के ब्लॉक खीरों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है इसके अंतर्गत शोधार्थी ने दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों, व्यवहार प्रतिमान आदि को जानना चाहता है कि परिवार, पड़ोस एवं समुदाय के लोगों का दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार होता है स्कूल मित्र मंडली का व्यवहार एवं अभिवृत्ति को समझा है। दिव्यांगजनों से समाज में लोग अलग–अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। समाज की मानसिकता कैसी है और सामाजिक व्यवहार कैसा है या अंतर्संबंध एवं अंतः क्रिया कैसे स्थापित करते हैं। यह शोध अध्ययन की आधारशिला है। प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के जिला रायबरेली के ब्लॉक खीरों तक ही सीमित रखा गया है इस क्षेत्र को शोध अध्ययन के लिए चयनित किया गया है ।

1.16. **अध्ययन का महत्त्व :**

एक राष्ट्र उसके समस्त नागरिकों से अस्तित्व ग्रहण करता है किसी भी राष्ट्र के विकास में महिलाओं एवम् पुरुषों का समान योगदान होता है फिर वह चाहे जिस धर्म व जाति का सदस्य हो किसी के भी योगदान को नकारा नहीं जा सकता किसी भी समाज की पहचान उसके नागरिकों पर निर्भर होती है किसी भी देश का भविष्य उसके स्वस्थ्य व सशक्ता नागरिकों की देन है जिस प्रकार से शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति समाज के विकास में अपना योगदान प्रदान करते है ठीक उसी प्रकार से दिव्यांगजन समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं। हमारे देश में जनगणना 2001 के अनुसार लगभग 2.19 करोड़ से भी अधिक दिव्यांगजन हैं जिनमें से 70% दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और शहरी क्षेत्रों में लगभग 0.81 करोड़

दिव्यांगजन निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 49% दिव्यांग आबादी साक्षर जबकि शहरी क्षेत्रों में 67% दिव्यांग आबादी साक्षर है। World Health Orgnization की एक रिपोर्ट के अनुसार दिव्यांगता को परिभाषित करते हुए बताया कि लम्बे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता वाला व्यक्ति जो बाधाओं के साथ बातचीत में दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है। देश के विकास के पथ पर प्रगतिशील होने के लिए उस देश के ग्रामीण क्षेत्र तथा परिवारों व उस समाज में रह रहे दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण किया जाए तथा देश के सभी नागरिकों को न्यूनतम आवश्यक संसाधन प्रदान किए जाएं इन सभी समस्याओं से दिव्यांगजनों को मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाओ को संचालित किया गया है अतः शोधार्थी उपरोक्त योजनाओं का दिव्यांगजनों पर प्रभाव का विश्लेषण किया हैं कि दिव्यांगजनों को उपरोक्त समस्याओं से मुक्ति मिली है या इनमे तीव्रता आई है।

समाज के विकास व और राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान प्रदान करता है, इसलिए देश के विकास लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता व समायोजन की आवश्यकता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजन पूर्ण रूप से समानता के अभाव में रहते हैं अतः सरकार के द्वारा दी गई योजना का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाते वित्तीय सहायता के अभाव में स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता हैं। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में जिसमें न्याय की नीति भी शामिल है जो दिव्यांगजनों को समाज में समानता पर बल देता है। आज भी दिव्यांगजन समाज में तनावपूर्ण समस्याग्रस्त स्थिति में रहते हैं। दिव्यांगजनों को समाज में जिज्ञासा के कारण बहुत से प्रश्नों का सामना करना पड़ता है जिनका उत्तर देने में वे असमर्थ रहते हैं। इसलिए शोधार्थी प्रस्तुत शोध में समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का आंकलन किया है।

1.17. शोध उद्देश्य :

प्रस्तुत शोध अध्ययन दिव्यंगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानो पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय की अभिवृत्तियों को समझना।

2. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांग जनों के प्रति समाज के सदस्यों के व्यवहार के प्रतिमानो को समझना।

3. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानो में अंतर्संबंध तथा इन दोनों में अंतर विश्लेषण करना।

1.18. शोध उपकल्पना :

अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के संबंध में जो कल्पना की जाती है उसी को परिकल्पना कहते हैं परिकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं ।

1. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों, परिवार ,पड़ोस एवं समुदाय में सकारात्मक अभिवृत्ति तथा दया, करुणा, सहयोग आदि परिलक्षित होती है ।

2. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानो में उतार–चढ़ाव सकारात्मक व नकारात्मक देखने को मिलता है ।

3. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान में अंतर होता है ।

1.19. शोध अध्ययन से सम्बंधित शोध प्रविधियां :

1.19.1. शोध अध्ययन क्षेत्र :

प्रस्तुत शोध अध्ययन– शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में ब्लाक खीरों का चयन किया है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन करना है। समाज में दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक व्यवहार बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांगजनों का हाशियाकरण (बहिष्करण) होता है अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध में दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों का आकलन करने का प्रयास किया है तथा प्रस्तुत शोध अध्ययन ब्लाक खीरों तक ही सीमित रखा गया है। खीरों ब्लॉक रायबरेली जिले में स्थित है, इसकी कुल जनसंख्या 1,82,586 है तथा पुरूष और महिला जनसंख्या क्रमशः 93733 और 88813 है। इसका जनसंख्या घनत्व 683 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। खीरों बलॉक में कुल 52 गांव है जो निम्नलिखित है– अचकपुर, आधार सिंह का पुरवा, अधरखेड़ा, अफसर, अहिलवा अत्री, बाबा खेरा, बाबू खेरा, बड़ा भक्त खेरा, बड़ा ताली, बैसन का पुरवा, बैसंखेड़ा, बाजनाथ खेरा, बखरी, बकिया खेरा, बक्तवार का पुरवा, बाल भद्र खेरा, बलभद्र खेरा, बल्ला खेरा, बान पुरवा, बाना माउ, बंगाली, बांग्लादेश, बांग्लाना खेरा, बरौला, बरौलिया, बरगडीहा, बरी, बारीसाल खेरा, बरियाआग, बर्मन खेरा, बसंत खेरा, बसावन खेरा, बसगवां, बाउ नाथ खेरा, बौरी पुरवा, बीच पुरवा, बहादुर खेरा, भगन का अड्डा, भगत खेरा, भागुखेड़ा, भरण का पुरवा, भाव खेरा, भितराई, भोदरा, भुखान खेरा, भूप खेरा, बिहारी खेरा, बिजय सिंह, बिजे मऊ खेरा, बिंदाखेड़ा, चडौली, चक, चक पीरसाही, चमारिन का पुरवा, चंडिका बख्शी, चंद्रावल, चपरुआं खेरा, चौधरी पुरवा, चौहानन खेरा, चीड़ा नगर, छटा का पुरवा, छोटा भगत खेरा, चिखरी, चुक गजराजी, कालोनी, दबन्ना, दहिरा पुरी, दलवौ खेरी, दंडनपुर, दांडी खेरा, दरियार खेरा, दयाल गंजो, देपा माउ, देवल्ली, देवी खेरा, ढकवा, दिर्गपाल गंजो, दुबेन खेरा, दुलापुर, दुलारापुर, दुर्गा खेरागी, एकौनि, फतेह खेरा, फिरोजाबाद, गदाहन खेरा, गणेशी खेरा, गणेशपुर, गंगा खेरा, गरीब सिंह का पुरवा, गरवा पुरवा, गौन्हा, गौतमन खेरा, गोनामौ, गुलाबाया खेरा, गुमदापुर, हरिराम खेरा, हरमुंडी, हाथगवां, हिन्दुपुर, हिंदू खेरा, हुसैनबाद, इकबाल का पुरवा,

जगन्नाथगंज, जामकोरियापुर, जनपुरी, जेरिक, कच्छिहारो, काली खेरा, कालुवा खेरा, कमालपुर, कंधियापुरी, कन्हिया खेरा, केतन पुरी, खजुहा, खांडेपुर, खपुरा चौराहा, खपुरा प्रथम, खपुरा द्वितीय, किशनखेड़ा, कोड्रा, कुटकुरीपुर, लच्छीपुर, लकुसाहरो, लाल पुरी, लाला खेरा, लंगराखेड़ा, लाओ खेरा, लोधी खेरा, मदारपुरवा, मदना पुरी, महारानीग्नि, मझगवां, मल्लपुर, मालपुर, मर्दनपुर, मथुराखेड़ा, मतिहन का पुरवा, मौ, मिश्रा खेरा, मिश्रान खेरा, मनघौरसिम्री, मोहनपुर, मोहरी, मुदैन खेरा, मुदियां खेरा, मुस्तकिम गंजा, नन्देहरी, नाथू खेरा, नौआ गौवन, नौतर, नया पुरवा, नया खेरा, नया पुरवा, निदान खेरा, नोहरी का पुरवा, नुनेरा, पी चंडी, पी चंद्रावली, पी चिरौंजी, पी देवी सिंह, पी डोमिया, पी गुलाबराय, पी जमादार, पी जोरावर सिंह, पी जुरावन, पी पासी, पी समधरसिंह, पी सरदार सिंह, पी शेर सिंह, पहरौली, पांडे का पुरवा, प्रसाद खेरा, पृथ्वी खेरा, रघुनाथ खेरा, राम खेरा, राम नगर, राम पुरवा, रामपुर, रामपुर मिल्किन, रामपुर निहसिया, रामवा पुर दुबई, राणापुर, रूप खेरा, सादुल्लापुर, सहजन बारी, सलीमापुर, सराय मोहम्मद, शैतानपुर (ई), शैतानपुर (डब्ल्यू), सेमारी का चौराहा, सेमिया गरिह, सेनि, सेवक खेरा, शगुनि, शंकर बक्स खेरा, शास्त्री नगर, श्योपाल सिंह खेरा, शेरा मौ, शेवानपुर, शीतलबक्शखेड़ा, सिंधौरी, सिंघनी खेरा, सीतिखा, सुखाई खेरा, सुखवखेरे, सुंदरिया खेरा, सुरेंद्र पुरी, सुरजीपुर, तरवा बरवा, तेवर खेरा, ठकुरैन खेरा, ठाकुरियां खेरा, ठाकुरपुर, थमोयोआकी, थाऊ नगर, तिडीखेड़ा, टीका माउ, तिवारी का पुरवा, तिवारी खेरा, तुल का पुरवा, उदौत पुरी, उदावत पुरी, उन्नत खेरा, उसराहा और विश्वनाथ खेरा।

शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध में सुविधाजनक निदर्शन (Convenience Sampling) के द्वारा गांवो का अध्ययन के लिए चयन किया है।

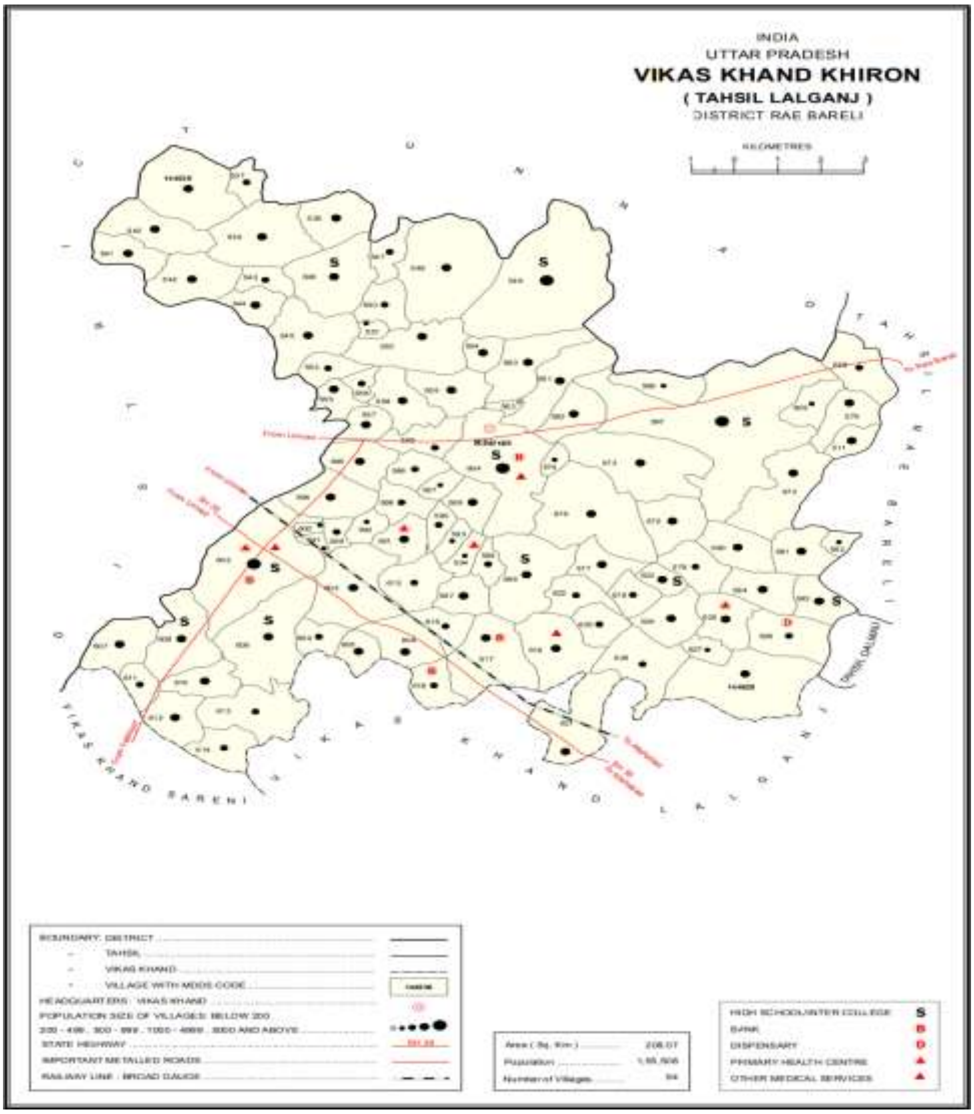

www.maps.com

1.19.2. शोध निर्दशन :

प्रस्तुत शोध समस्या तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुविधाजनक निदर्शन (Convenience Sampling) का प्रयोग किया गया है इसमें शोधार्थी ने अपनी सुविधा के अनुसार निदर्शन चुनाव किया है, प्राथमिक आंकड़ों के संकलन हेतु 75 उत्तरदाताओं को निदर्शन के रूप में चयन किया गया है इनमें से 75 उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का संग्रहण किया गया है तथा द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रकाशित, अप्रकाशित लेख पुस्तकों समाचार पत्रों आदि तत्व पर आधारित हैं।

1.19.3. शोध प्रविधि :

प्रस्तुत शोध प्रविधि में शोध अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मात्रात्मक शोध प्रविधि (Quantitative Method) का उपयोग किया गया है तत्पश्चात् वणर्नात्मक शोध प्रविधि (Descriptive Method) का उपयोग किया गया है तथा तथ्य संकलन के हेतु प्राथमिक एवम् द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है प्राथमिक स्रोतों के रूप में उत्तरदाताओं का साक्षात्कार अनुसूची विधि द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया गया है। और द्वितीयक स्रोतों में प्रकाशित, अप्रकाशित लिखें, समाचार पत्र, किताबें आदि तत्वों का उपयोग किया गया है।

1.19.4. तथ्य संकलन के उपकरण :

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची विधि का प्रयोग किया गया है। तथा आंकड़ों के संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया जिसमें दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों, व्यवहार, प्रतिमानों को समझने से संबंधित प्रश्नो को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा उत्तरदाताओं से संबंधित सूचनाएं संकलित करने का प्रयास किया गया है साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण इस प्रकार किया गया है जिसमें शोध अध्ययन से संबंधित उपकल्पनाओं की अच्छी तरह से जांच संभव हो सके तथा साक्षात्कार विधि के माध्यम से व्यवहार, प्रतिमानो से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। इस अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने व्यक्तिगत रूप से ब्लॉक खीरों में उत्तरदाताओं से मिलकर वांछित सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन किया है।

1.19.5. संकलित आंकड़ों का सम्पादन, वर्गीकरण एवं व्याख्या की प्रविधि :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचना को संकलित कर संपादन प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है कि समस्त सूचना संकलित कर ली गई हैं।संकलित एवम् सम्पादित सूचना का वर्गीकरण कर के इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। समस्त संकलित सूचना का वर्गीकरण एवं तालिकाबद्ध करने के पश्चात इसका विश्लेषण सांख्यकीय व तार्किक आधार पर किया गया है। आंकड़ों के सांख्यकीय विश्लेषण करने के लिए तालिका का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के निष्कर्ष के

आधार पर विवरणात्मक रूप से प्रतिवेद आलेख तथा अध्ययन की प्राप्तियों के आधार पर उपयोगी सुझावों को प्रस्तूत किया किया गया है।

1.20. अध्यायों की संरचना :

प्रस्तुत शोध को पांच अध्यायों में विभाजित किया गया है जो निम्नलिखित हैं–

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना जिसका शीर्षक दिव्यांगजनों के प्रति सामजिक अभिवृत्तियां एवं व्यवहार प्रतिमान : एक परिचय है तथा इसमें दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का वर्णन है। दिव्यांगजनों के लिए कल्याण कार्यक्रम व योजनाओं का संक्षिप्त विवरण, अध्ययन की शोध प्रविधियां, उद्देश्य, परिकल्पना, तथ्य संकलन के उपकरण एवम् अध्यायों की संरचनाओं को उल्लेखित किया गया है।

द्वितीय अध्याय में शोध से संबंधित साहित्य की समीक्षा का वर्णन किया गया।

तृतीय अध्याय में सैद्धांतिक एवं अवधारणात्मक ढ़ॉचा को शामिल किया गया है।

चतुर्थ अध्याय में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का विश्लेषण किया गया हैं।

पाचवे अध्याय में परिणाम, निष्कर्ष एवं सुझाव की व्याख्या की गई है।

अध्याय द्वितीय

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान की साहित्य की समीक्षा

द्वितीय अध्याय
दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान की साहित्य की समीक्षा

प्रस्तुत साहित्य समीक्षा से दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों, व्यवहार व प्रतिमानों से संबंधित है। किसी भी शोध कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व उससे संबन्धित शोध पत्रों, साहित्य का पूर्वावलोकन करना अत्यधिक आवश्यक है। जिससे की शोध कार्य को ठीक तरीके से पूर्ण किया जा सके।

1 **मरोहत्रा. N. (2004)** अध्ययन के दौरान पाया गया कि दिव्यांग महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा भेदभाव का ज्यादा सामना करना पड़ता है । इनके अनुसार हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र में शारिरिक रूप से सक्षम महिलाओं की अपेक्षा दिव्यांग महिलाओं को सांस्कृतिक कार्यों के कारण कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दिव्यांग महिलाओं को विवाह जैसी गतिविधि सांस्कृतिक रूप से और प्रताड़ित करती हैं। ग्रामीण समाज में रह रहे लोगों का मानना है कि दिव्यांग महिला को तो खुद ही देखभाल की जरूरत होती है । और ऐसी अवस्था में विवाह उपरांत कैसे निर्वाह कर पाएगी ।

2 **एडवर्डराज, और अन्य. (2010)** अध्ययन जो कि दक्षिण भारत में विल्लौर में किया था जिसमें बौद्धिक अक्षमता के प्रति लोगों के विचारों को बताया इनका मानना है कि जिन समाजों में सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वासों का प्रचलन है। उन समाज में दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक व्यवहार की स्थिति ज्यादा बनी रहती है । जिन परिवारों में दिव्यांग व्यक्ति होता है उन परिवारों को पड़ोसियों एवं समुदायों का निम्न सहयोग प्राप्त होता है। और स्थानीय सांस्कृतिक, मान्यता धार्मिक मान्यता ने कई प्रकार के विरोधाभासी रूपों को जन्म दिया है।

3 **सोफी, U. (2011)** के अनुसार हल्की नापसंदी या शर्मिंदगी लोग दिव्यांगजनो की उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं। और ऐसा कोई विषय नहीं ढूंढ पाते

हैं जिस पर वह ऐसे व्यक्तियों से बात कर सके ये अस्वीकृति का एक हल्का सा रूप है ।

4 **दावन, R. (2012)** के अनुसार –दिव्यांग व्यक्ति को रोजगार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जबकि समाज ने दिव्यांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए नियम कानून बनाए गए हैं । फिर भी दिव्यांग व्यक्ति को रोजगार की समस्याओं से गुजरना पड़ता हैं।

5 **सिंघल, और अन्य, (2012)** के अनुसार दिव्यांगजनों को बहिष्कृत किया जाता है और इस बहिष्कृत का कारण सामाजिक सांस्कृतिक कारण है ना कि शारीरिक दुर्बलता। इनका मानना है कि दिव्यांगजनों की उपेक्षा केवल सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के कारण होता है ।

6 **गुलियानी .R.(2017)** के अनुसार विकलांगता की समझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और यहां तक कि जीवन के विभिन्न चरणों में एक ही व्यक्ति के लिए अलग–अलग हो सकती है । शुरुआती जीवन के चरणों में कई चुनौतियों को बहुत कम ध्यान दिया जाता है । भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए पाया कि भारत में बहुत कम नीतियां और कार्यक्रम है जो इसे पूरा करते हैं।

7 **मिश्रा, S. (2018)** के अनुसार दिव्यांगता कोई व्यक्ति परक स्वास्थ्य समस्या नहीं है यह तो वास्तव में सामाजिक रूप से निर्मित समस्या है । जो दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में बड़े पैमाने पर बाधा उत्पन्न करता है। समाज में जो सांस्कृतिक सामाजिक मानक बने हुए हैं वही रूढ़िता के विकराल रूप में स्थापित हैं यह रूढ़िता दिव्यांग व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान हैं ।

8 **अल्ड्रेड, H. (1995)** के अनुसार शारीरिक और यौन हमला शिक्षा और रोजगार में भेदभाव प्रथाओं के पर्याप्त प्रमाण हैं जो विकलांग लोगों को और नुकसान पहुंचाते हैं।

9 **घई. A. (2015)** ने शोध के दौरान पाया कि दिव्यांग पुरुषों की अपेक्षा दिव्यांग महिलाओं को अपने जीवन में दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

10 **सिंह, P. (2014)** के अनुसार दिव्यांगजनों की रोजगार की असंतोषजनक तस्वीर को प्रस्तुत किया है रोजगार चुनौतियों में दिव्यांग पुरुष की अपेक्षा दिव्यांग महिलाओं को नकारात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है।

11 **हुसैन. M. (2002)** के अनुसार दिव्यांगता का दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। अधिकतर उनकी शादी, शिक्षा और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

12 **हॉर्नर, V. (2006)** के अनुसार बौद्धिक अक्षमताओ वाले दिव्यांगजनों के साथ समाज में दुर्व्यवहार की ज्यादा संभावना होती है।

13 **मुन्नयि, C. (2012)** के अनुसार एजेंसी सरकारों और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता संगठनों द्वारा विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार के पूर्वाग्रह और भेदभाव को खत्म करने के प्रयास में अच्छा फल दे रहे हैं।

14 **श्री वास्तव, और अन्य, (2015)** के अनुसार ग्रामीण समाज में दिव्यांगजनों को किसी भी स्कूल जाने, पारिवारिक समारोह में भाग लेने से रोका जाता है। ये यह शत्रुता पूर्ण भौतिक एवं सामाजिक वातावरण द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन को दुर्लभ बनाया गया है। जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों से बाहर कर देता है ।

15 **गुडालड, और अन्य. (2005)** के अनुसार दिव्यांगजनों को प्रमुख रूप से संस्थानों और बाजारों और स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शासन में भागीदारी उन लोगों का एक प्रमुख दावा है जो सांस्कृतिक मतभेदों के कारण होते हैं। दिव्यांगजनों के प्रति विभिन्न समूहों के बीच सामान्य हितों की कमी पाई जाती है। और इसके तहत यह दावा किया गया है। कि ब्रिटिश समाज में भौतिक और स्वस्थ जैसी सामाजिक वस्तुओं के वितरण में घोर असमानताएं है मौजूद थे। समूहों के बीच इन संरचनात्मक असमानताओं को कई वर्षों से सामाजिक अन्याय के स्रोत के रूप में देखा गया है। दिव्यांगजनों के प्रति जो सामाजिक न्याय है उसे पहचान में जोर दिया गया है। कुछ दिव्यांगजनों को वह नहीं मिल पाता है। जो सामाजिक न्याय से प्राप्त होना चाहिए दिव्यांगजनों के प्रति निष्पक्षता और सामाजिक न्याय की अवधारणा में

मुख्य अंतर भौतिक असमानताएं और अन्य प्रकार की असमानताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने पर जोर देते हैं ।

16 **लजा, और अन्य, (2017)** के अनुसार दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों की विस्तार से चर्चा की गई है । उनका मानना है कि सामाजिक संरचना अवसर विभिन्न संचार विधियों और संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली के विभिन्न तरीकों को सम्मिलित करने के लिए तैयार नहीं रहती है। यह सार्वजनिक परिवेश में होता है। जैसे परिवार समाज आवासीय प्रवेश में इन बाधाओं का दैनिक जरूरतों और समुदाय के साथ जुड़ाव के लिए दिव्यांग व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जहां या निर्भरता मौजूद हैं वहां वर्चस्व का जोखिम बना रहता है ऐसी अवस्था में दिव्यांग व्यक्ति को निर्णय लेने के बारे में कमी और हाशिए का शिकार होने की गंभीर समस्या रहती है। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों पर कन्वेंशन का अनुच्छेद 12 तक किसी भी अन्य मानवाधिकार साधन की तुलना में दिव्यांग व्यक्तियों के निर्णय लेने के अधिकारों के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने महसूस किया कि दमनकारी जीवन यापन करने और दिव्यांग लोगों के दैनिक निर्णय लेने को अनुच्छेद 12 द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए ।

17 झेंग,और अन्य.(2016) के अनुसार सामाजिक समावेश और दिव्यांगता लोगों की समुदायिक भागीदार दुनियां में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वर्तमान नीतियों का मार्गदर्शन करने वाली एक केन्द्रीय अवधारणा है, जैसा कि सभी महसूस कर रहे हैं दिव्यांगता के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ने दिव्यांग व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि समुदाय में एकीकरण को भी प्राभावित करता है। और इसी प्रकार एक संभावित संसाधन का नुकसान हो सकता है। नकारात्मक धारणाएं अवसरों का कारण बन सकती हैं और परिणामस्वरूप कलंक, हाशिए पर और बार बार नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

18 **हेलियोन (2021)** के अनुसार दिव्यांगजनों के प्रति सरकार और एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए कानूनों और सुरक्षा के बावजूद दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों को कलंक माना जाता है यहां तक कि शिक्षा, रोजगार और चलने फिरने सहित उनके बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित किया जाता है।

19 **नायडू, और अन्य. (2011)** कभी कभी दिव्यांग व्यक्ति के परिवार, समाज में सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा खोने के डर के कारण उनके परिवार के सदस्य अपने परिवार में ही किसी दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग मानने से भी इनकार करते हैं ।

20 **फिसर, और अन्य. (2017)** के अनुसार दिव्यांगता संबंधित अभिवृत्तियों को परिभाषित करते हुए कहा कि नकारात्मक दृष्टिकोण दिव्यांगजनों की समानता के लिए एक प्रमुख बाधा है। दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए कई प्रकार के प्रयासों को शामिल किया जाता है किंतु पूर्णता सफलता का अभाव दृष्टिगोचित होता है लोगों की अभिवृतियों को बदलने के लिए सरकारी और अन्य संगठनों ने कई कार्यक्रम लागू किए हैं। इन्होने बताया कि लोगों के दृष्टिकोण बदलने की नीति हस्तक्षेप के तीन स्तरों के बीच अंतर्संबंध के ढांचे का उपयोग करके हैं ऐसे कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के बारे में प्रकाशित साक्ष्य का विश्लेषण करते हैं। और हमें दिव्यांगता के प्रति व्यक्तिगत स्तर पर अभिवृत्ति बदलने की आवश्यकता है। और संगठनात्मक स्तर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मनोवृत्ति बाधाओं से संबंधित व्यवहार व अभिवृत्तियों में अनिवार्य रूप से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ,

21 **पार्कर, S. (2001)** के अनुसार यह बताने का प्रयास किया कि किस तरह से समाज में एक व्यक्ति को उसकी दिव्यांगता को धर्म और समाज से जोड़ कर देखता है। एशिया में कुछ समाजों में दिव्यांगता को पिछले जन्मों के कर्मों से संबंध को मानते हैं इसके अतिरिक्त तो कुछ मामलों में दिव्यांग व्यक्ति को परिवार के लिए अपमानजनक के रूप में माना जाता है। जो समाज में दिव्यांगजनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दिव्यांगजनो से जुड़े मुद्दों को नष्ट करने के लिए महत्वपूर्ण कारण है ऐसी रुढ़ी व नकारात्मकता से जुड़ी सोच ने दिव्यांग व्यक्ति को समाज में एकीकृत वह समायोजित होने का अवसर छीन लेती है अभिवृत्तियाँ ही यह तय करती है कि कौन सा व्यक्ति समाज के लिए उपयोगी है ।

22 (PWDS) की एक रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड के माध्यम से लोगों की बदलती हुई अभिवृत्तियां–फिल्में हमारे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ऐसी कई फिल्में हैं जो समाज में चल रही घटनाओं को दर्शाती हैं जैसे जाति व्यवस्था, दहेज प्रथा, बालिकाओं की हत्या आदि समाज में बदलाव लाने के लिए कितने महत्वपूर्ण योगदान देती है अधिकतर लोगों की अभिवृतियां समाजीकरण के माध्यम से ही बनती है जैसा हमारा पारिवारिक व सामाजिक वातावरण होता है हम वैसे ही आदतों व व्यवहारों को आत्मसात करते हैं समाज में अनुसंधान ने लगातार दिव्यांगजन को सामाजिक हाशिए पर जाने का पता लगाया है समाज में दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग होने के लिए पिछले जन्मों के कर्मों को उत्तरदायी माना गया है, लोग दिव्यांगता को कर्मों का दंड मानते हैं दिव्यांगता को माता–पिता के कर्मों के दंड के रूप में भी देखते हैं अर्थात दिव्यांगता ईश्वरीय न्याय का प्रतिनिधित्व करती है, अधिकतर सांसारिक स्तर पर दिव्यांग लोगों को परंपरागत रूप से किसी भी तरह से अशुभ माना जाता है शोधार्थी तो यह भी मानते हैं कि दिव्यांग व्यक्ति के परिवार की सामाजिक स्थिति का समाज में उनकी संभावित स्वीकृति पर प्रभाव पड़ता है जो कि नकारात्मक अभिवृत्ति की तरफ एक बढ़ावा है भारतीय पौराणिक कथाओं और बॉलीवुड फिल्मों में दिव्यांगता के प्रति भारतीय अभिवृत्ति पर एक परिप्रेक्ष्य पौराणिक कथाओं के दो रूप हैं एक पारंपरिक हिंदू मिथक जो अभी भी सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को आकार देते हैं और बॉलीवुड की आधुनिक मशीन जिसका सीधा प्रभाव संस्कृति और समाज पर पड़ता है। बॉलीवुड फिल्मों में दिव्यांग पुरुष को दिव्यांग महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक बार दिखाई देते हैं दूसरा दिव्यांग पुरुषों के लिए अक्सर समर्पित महिलाओं का चित्र दिखाया जाता है जबकि दिव्यांग महिलाओं के लिए शायद ही कभी ऐसा होता हो दिव्यांग पुरुषों की तुलना में दिव्यांग महिलाओं को निम्न प्रस्थिति को दिखाया जाता है और दिव्यांग महिलाओं को जिन अक्षमताओं के साथ चित्रित किया जाता है वह बहुत कम ही होती हैं जो उनकी शारीरिक बनावट को प्रभावित करती हैं ताकि वह काफी हद तक सुंदर बनी रहे भारतीय

सिनेमा दिव्यांग महिलाओं की दोगुनी कमजोरी को दर्शाता है दिव्यांग पुरुषों को संसाधनों के साथ बेहतर सामाजिक आर्थिक स्तर को चित्रित किया जाता है। दिव्यांग महिला जो आर्थिक रूप से कमजोर है और दिव्यांगता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं उनकी दोहरी समस्या को चित्रित करता है बॉलीवुड में ऐसे चित्रण पुरुष प्रधानता को चित्रित करते हैं और समाज में नकारात्मक अभिवृत्ति को बढ़ाने में योगदान करते हैं।

शोध अंतराल :

विषय से संबंधित वर्णित पुस्तकों तथा शोध पत्रों की व साहित्य मूल्यांकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिव्यांगजनों से संबंधित गहन अध्ययनो की एक क्रमबद्ध श्रंखला पश्चिमी समाजशास्त्रीयों में देखने को मिलती है परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिव्यांगजनों के संबंध गहन अध्ययनो की काफी कमी रही है। जो कुछ अध्ययन हुए हैं। वे दिव्यांगजनों की गंभीर एवम् संवेदनशीलता को वास्तविक रूप देने में वर्णित करने में असफल रहे यही चिंता का विषय है। जहां एक ओर पश्चिमी देशों में दिव्यांगजनों के प्रति अनेकों लेख लिखे गए जिनमें दार्शनिक, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मनोचिकित्सक से लेकर यहां तक दिव्यांगजनों ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए पुस्तकें लिखी हैं। वहां आज भी भारत में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की नकारात्मक अभिवृत्तियां गंभीर से समाज में व्याप्त है। इसके उपरांत भी अब तक दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दे विवेचना एवं विचार मंथन के केंद्र नहीं है। अभी भी लोगों में दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्तियां बनी हुई है। भारत में दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों से संबंधित जो अध्ययन हुए हैं। वे अत्यधिक सीमित क्षेत्र तथा सूक्ष्म स्तर पर हुए हैं। जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में किए गए हैं जिसके कारण अभ्यर्थियों का सही मापन नहीं हो पाया है और ना ही कोई ठोस परिणाम प्राप्त हो पाए हैं। दिव्यांगता से पीड़ित दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की अभिवृत्तियों का मापन एवम् उसका परीक्षण सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सभी वास्तविक क्षेत्र में सभी प्रकार से समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों का मापन किया जाना चाहिए वैसे तो दिव्यांगजनों से संबंधित अभिवृत्तियों के विषय में बहुत कुछ लिखा जाने लगा है इसके

बावजूद भी इस संबंध में अत्यधिक शोध कार्य करने की आवश्यकता है। अतः इस शोध में शोधार्थी समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवम् व्यवहार प्रतिमानों को देखना चाहता है।

अध्याय तृतीय

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान : एक सैद्धांतिक ढ़ॉचा

तृतीय अध्याय

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान : एक सैद्धांतिक ढ़ाचा

3.1. दिव्यांगजनों के प्रति सैद्धांतिक परिपेक्ष्य :

दिव्यांगता एक जटिल घटना है कई शोधकर्त्ता और वैज्ञानिक दिव्यांगता को चिकित्सकीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और मानववैज्ञानिक दृष्टिकोणों के रूप में अध्ययन करते है। दिव्यांगता अध्ययन में सिद्धातों एवं परिपेक्ष्यों को भी चिन्हिंत करना चाहिएं जो सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों की जाँच करते है। दिव्यांगता को परिभाषित करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक और अनुक्रियाओं को भी स्थान मिलना चाहिएं। प्राथमिक रूप में दिव्यांगता शब्द को व्यक्ति की शारीरिक कमी के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके लिए सार्वभौमिक परिभाषा वर्ष 1993 में सोसाइटी फॉर डिसेबिलिटी स्टडीस द्वारा दी गयी थीं। जो स्वयं में एक गैर–सरकारी संस्था है और जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गयी थी। इसके अनुसार वह बीमारी अथवा समस्या जो अन्य बीमारियों अथवा दुर्बलताओं के साथ शरीर में मौजूद होती है और जिसे चिकित्सा द्वारा पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते है दिव्यांगता है। इस परिभाषा को विश्व के कई विद्ववतजनों और संगठनों द्वारा स्वीकार किया गया है। संस्था द्वारा दिव्यांगता के विषय में बल देते हुए कहां गया है कि दिव्यांगता को मनोवैज्ञानिक और भौतिक दृष्टिकोणों के विपरीत सामाजिक और चिकित्सीय दृष्टिकोणों द्वारा समझना चाहिए। ये दृष्टिकोण दिव्यांगों को समाज में अन्तःसंबंधित करने और समन्वय स्थापित करने में सहायक हो सकते है।

अतः शोधार्थी ने दिव्यांगता को मुख्या रूप से दो दृष्टिकोणों के अर्न्तगत व्याख्या प्रस्तुत की है जिसमें एक चिकित्सकीय और समाजिक है–

3.1.1. दिव्यांगता का चिकित्सकीय दृष्टिकोण : यह दृष्टिकोण दिव्यांगता को शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य की हानि अथवा असमानता मानती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (1988) के अनुसार, दिवयांगता एक व्यापक शब्द है जिसमें असमानताएं, गतिविधि की सीमाएं और पूर्ण भागीदारी प्रतिबंधित है। दिव्यांगता शारीरिक संरचना और शारीरिक गतिविधियों में समस्या उत्पन्न करती है जिसके द्वारा दिव्यांग व्यक्ति सामान्य जीवन के क्रियाकलापों को करने में असहज महसूस करता है। इस प्रकार दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य मानी जाने वाली सीमा के भीतर की गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक प्रकार के प्रतिबन्ध अथवा कार्य करने की क्षमता की कमी है।

सामान्यतः दिव्यांगता शब्द मानव समाज के उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने दैनिक कार्यों को सामान्य रूप से नहीं कर पाते है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इसे स्वास्थ्य की हानि मानता है। इसके अनुसार विकलांगता शब्द से तात्पर्य ''मनुष्य के सामान्य रूप से शारीरिक क्रियाएं न का पाने से है'' (सेन, 1988)। इस क्रम में पारसन्स (1951) बीमारी की भूमिका के लिए अर्न्तदृष्ट के विकास पर बल देते है। उनके अनुसार रूग्ण व्यक्ति को अपनी रूग्ण भूमिका समाज में निर्वाहित करते रहना पड़ता है। चिकित्सा क्षेत्र से प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न शारीरिक परेशानियों के लिए मात्र चिकित्सा करते है। इसी कारण व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलूओं को हल करने में ये असफल ही सिद्ध होते है। यह एक द्वैतवादी परिपेक्ष्य है जो सक्षम व्यक्तियों को दिव्यांग लोगों से श्रेष्ठ के रूप में स्तरीकृत करता है (बर्नस, मरसर और शेक्सपीयर 1999)। इस प्रकार यह दृष्टिकोण दिव्यांगता को एक बीमारी मानता है जो चिकित्सा से सहीं हो सकता है अथवा प्रयास कर सकते है। इसमें व्यक्ति को स्वयं समाज के अनुसार बदलने पर बल दिया जाता है न कि उन स्थितियों को जो व्यक्ति की दिव्यांगता में योगदान देती है।

3.1.2. दिव्यांगता का सामाजिक परिपेक्ष्य : यह चिकित्सकीय दृष्टिकोण के विपरीत एक नये परिपेक्ष्य का निर्माण करता है। सामाजिक परिपेक्ष्य हमें यह ज्ञान कराता है कि समाज द्वारा दिव्यांगता बनाई गयी है। समाज द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक और प्राकृतिक उपभोग की वस्तुओं का उपयोग करना प्रतिबंधित किया गया है। कुछ

सामाजिक कारक जैसे– मानक और मूल्य, संस्कृति, धर्म, जाति, वर्ग, आदि दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में अवरोधों के लिएं जिम्मेदार होते है (सिंह, 2014)। कुछ विद्वानजनों का मानना है कि मिथ्या कल्पनाएँ, विचारधाराएँ और दिव्यांगता का कलंक व्यक्ति के भेदभावों को बढ़ता है। जबकि इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि इनके लिए निर्धारित भूमिकाएं उनके स्वयं का परिणाम नहीं है। बल्कि यह समाज की देन है। सामाजिक परिपेक्ष्य के अर्न्तगत ओलिवर (1992, पृ. 22) दिव्यांगता शब्द को परिभाषित करते हुएं कहते है कि '' वर्तमान व्यवस्था द्वारा उन व्यक्तियों को जो समाज में अलाभदायक है, की गतिविधियों को मुख्य धारा से बाहर रखा जाता है'' जिसका अर्थ है कि समाज द्वारा जानबूझकर और बलपूर्वक ऐसे व्यक्तियों को समाज से अलग रहने के लिए विवश किया जाता है। थॉमस (1999) तर्क देते हुए कहते है कि '' दिव्यांगता सामाजिक उत्पीड़न का एक रूप है। सामाजिक तौर पर यह दिव्यांगों में गतिविधियों के प्रतिबंधों को आरोपित करती है, साथ ही दिव्यांगों के मनोवैज्ञानिक और भावात्मक कल्याण को कम करने का काम करती है।'' सर्वप्रथम थॉमस ने ही समाज और दिव्यांग व्यक्तियों के संबंधो को परिभाषित करने के लिए 'क्षति प्रभाव' शब्द को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार, ''समाज दिव्यांगों के लिए बाधाएं उत्पन्न करता है और उनके अधिकारो से उन्हें वंचित रखता है।'' इसका अर्थ है कि समाज व्यक्तियों को उनकी भिन्नताओं के अनुसार उन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में रखता है और उन्हे सामाजिक गतिविधियों से बाहर रखता है। दिव्यांगों के लिएं होने वाले सकारात्मक प्रयास उनके व्यक्तिगत समायोजन और पुर्नवास के बजाए उनके सामाजिक परिवर्तन में होने चाहिए (सिंह और कछप, 2008)।

13 दिसंबर 2006 के संयुक्त राष्ट्र के दिव्यांगों के अधिकार सम्मेलन (यू0एन0सी0आर0पी0डी0) में यह माना गया है कि '' दिव्यांगता उन कारको का प्रतिफल है जो दिव्यांग व्यक्तियों को सामान्य लोगों द्वारा वैचारिक और पर्यावरणीय बाधाओं के रूप में समान आधार पर समाज में सशक्तता के लिए बाधित करती है।'' दिव्यांगता की कोई सर्वमान्य परिभाषा न होने के कारण इस अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांगता को परिभाषित करते हुएं कहा है कि, ''वह व्यक्ति जो यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि वह सम्पूर्ण अथवा आंशिक रूप सामान्य दैनिक और सामाजिक

जीवन की आवश्यकताओं को जन्मजात अथवा बाद में अपनी शारीरिक अथवा मानसिक क्षमताओं में कमी के परिणामस्वरूप पूर्ण कर पाने में असमर्थ है तो वह व्यक्ति दिव्यांग है।'' दिव्यांगता को शारीरिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, संवेदी तथा भावनात्मक विकास के सम्पूर्ण संयोजन की कमी का परिणाम माना जा सकता है।

दिव्यांगता की घटना मानव जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है और इससे उत्पन्न स्थितियों को समाज अथवा मनुष्य से अलग भी नहीं किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति शरीर के एक अथवा एक से अधिक अंगों का प्रयोग नहीं कर पाते अथवा आंशिक प्रयोग करते है। दिव्यांगता एक व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो सकती है अथवा उसके जीवनकाल के दौरान घटित हो सकता है।

अध्याय चतुर्थ

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का विश्लेषण

अध्याय चतुर्थ

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का विश्लेषण

सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि व्यक्ति या समूह की सामाजिक स्थिति या वर्ग है। यह व्यक्ति की आयु, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जाति, धर्म, घरेलू संरचना, वैवाहिक स्थिति आदि के संयोजन से संबंधित है। यह अध्याय उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय के अन्तर्गत उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की जांच के लिए शोधार्थी ने उत्तरदाताओं की आयु, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, उत्तरदाताओं का व्यवसाय, घरेलू वार्षिक आय आदि का विश्लेषण किया है।

प्रस्तुत अध्याय को दो भागों में विभाजित किया गया है : पहला सामाजिक आर्थिक प्रशस्ति, दूसरा डिसेबल्स के प्रति समाज द्वारा अपनाए गए अभिवृत्ति और व्यवहार प्रतिमान।

भाग–1

सामाजिक–आर्थिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि

सारणी संख्या–4.1 उत्तरदाताओं की उम्र

उम्र	उत्तरदाता	प्रतिशत
18–30 वर्ष	40	53.3%
31–45 वर्ष	15	20.0%
46–50 वर्ष	13	17.3%
60 वर्ष से अधिक	7	9.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.1

उत्तरदाताओं की उम्र

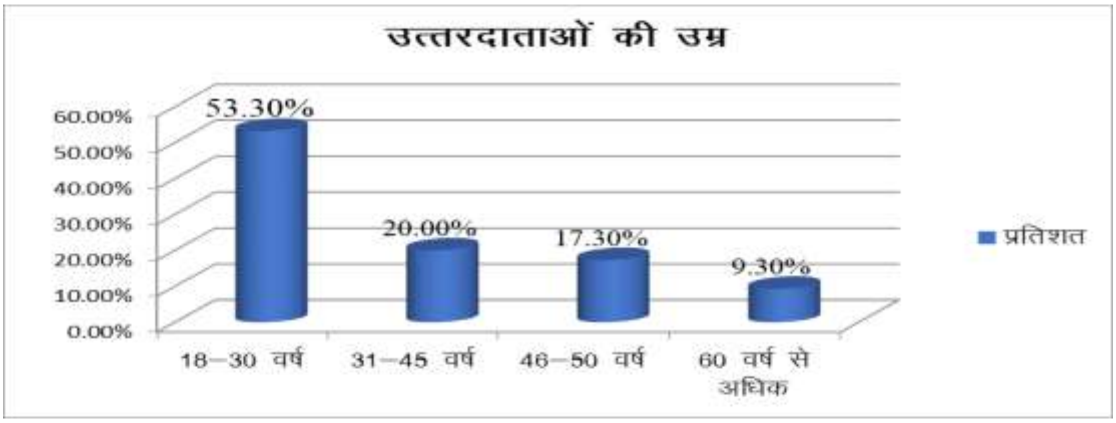

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.1 से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 53.3% उत्तरदाता की उम्र 18 वर्ष से 30 वर्ष है, 20.0% उत्तरदाता 31 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य के है। 17.3% उत्तरदाता की उम्र 46 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है, वहीं 9.3% उत्तरदाताएं ऐसे है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है।

अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 53.3% उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग आधे से अधिक है उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 9.3% उन उत्तरदाताओं का है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की है।

सारणी संख्या–4.2

उत्तरदाताओं का धर्म

धर्म	उत्तरदाता	प्रतिशत
हिंदू	43	57.4%
मुस्लिम	20	26.7%
सिख	7	9.4%
अन्य	5	6.7%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.2

उत्तरदाताओं का धर्म

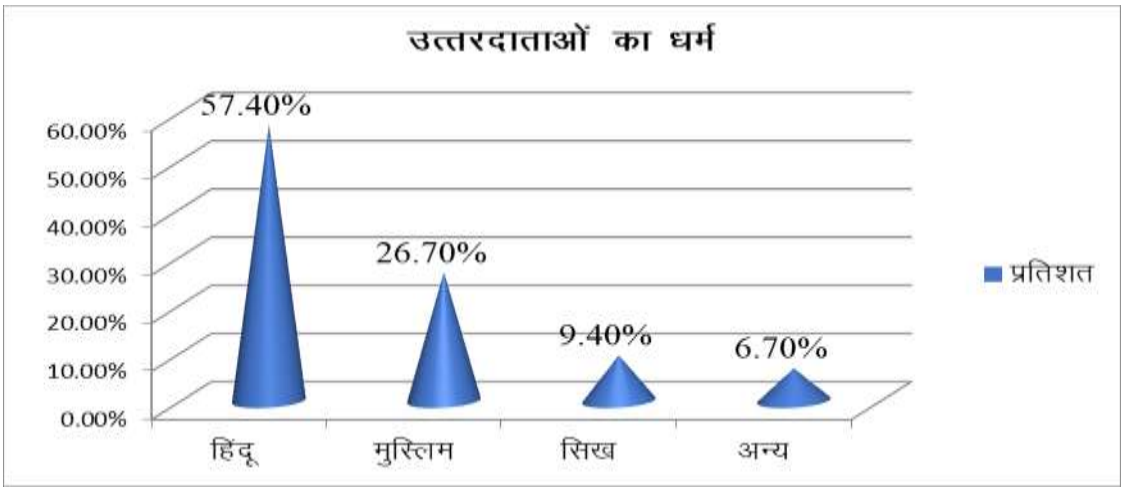

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.2 से पता चलता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 57.4% उत्तरदाता हिंदू धर्म को मानने वाले है, 26.7% उत्तरदाता मुस्लिम धर्म को मानने वाले है। 9.4% उत्तरदाता सिख धर्म को मानने वाले है, वहीं 6.7% उत्तरदाताएं अन्य दूसरे धर्म को मानने वाले है।

अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से से लगभग आधे से अधिक 57.4% उत्तरदाता हिंदू धर्म को मानने वाले है जबकि सबसे कम प्रतिशत 6.7% उत्तरदाताएं अन्य दूसरे धर्म को मानने वाले है।

सारणी संख्या–4.3

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक प्रस्थिति

शैक्षणिक प्रस्थिति	उत्तरदाता	प्रतिशत
प्राथमिक	16	21.3%
माध्यमिक	9	12%
उच्च माध्यमिक	16	21.3%
उच्च शिक्षा	20	26.7%
अशिक्षित	14	18.7%
कुल योग	75	100.0%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.3

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक प्रस्थिति

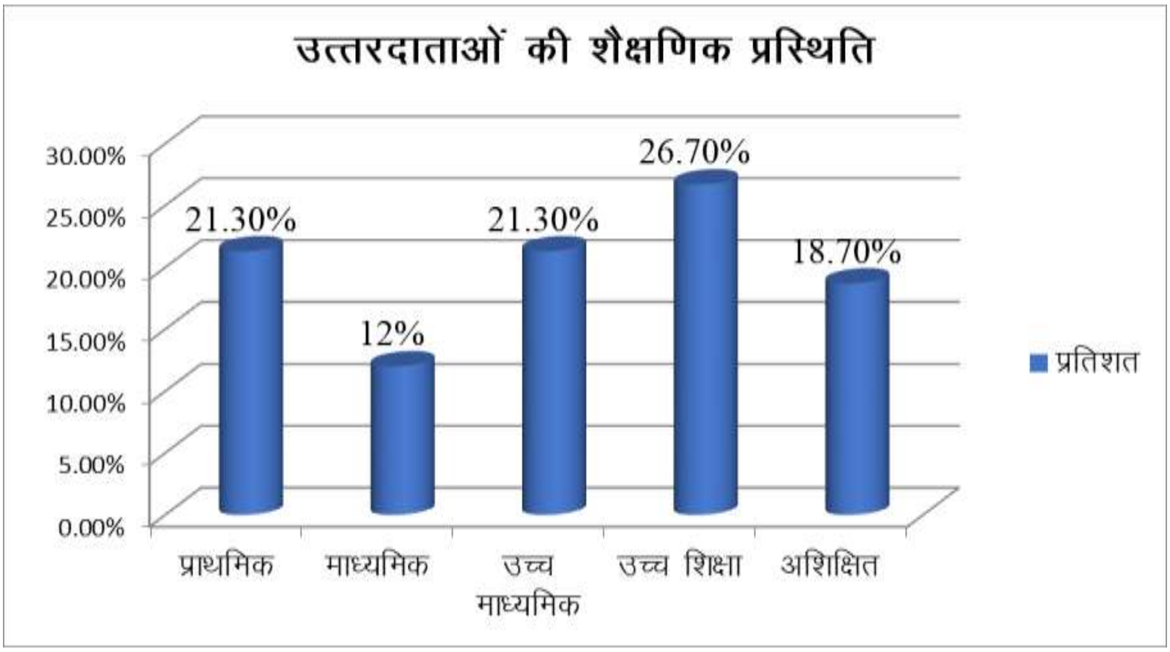

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.3 से पता चलता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग एक तिहाई 21.3%) उत्तरदाताएं ऐसे है जिन्होने सिर्फ प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की है, 12.0% उत्तरदाताएं ऐसे है जिन्होने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है। 21.3% उत्तरदाताएं उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण किया है, 26.7% उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, जबकि 18.7% ऐसे है जोकि अशिक्षित है।

अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग एक–चौथाई से अधिक 26.7% उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग एक तिहाई से अधिक है, उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 12.0% उत्तरदाताएं ऐसे है जिन्होने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है।

सारणी संख्या–4.4

उत्तरदाताओं का व्यवसाय

व्यवसाय	उत्तरदाता	प्रतिशत
कृषि	13	17.3%
मजदूरी	6	8%
स्वरोजगार	26	34.7%
सरकारी कर्मचारी	20	26.7%
अन्य	10	13.4%
कुल योग	75	100.0%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.4

उत्तरदाताओं का व्यवसाय

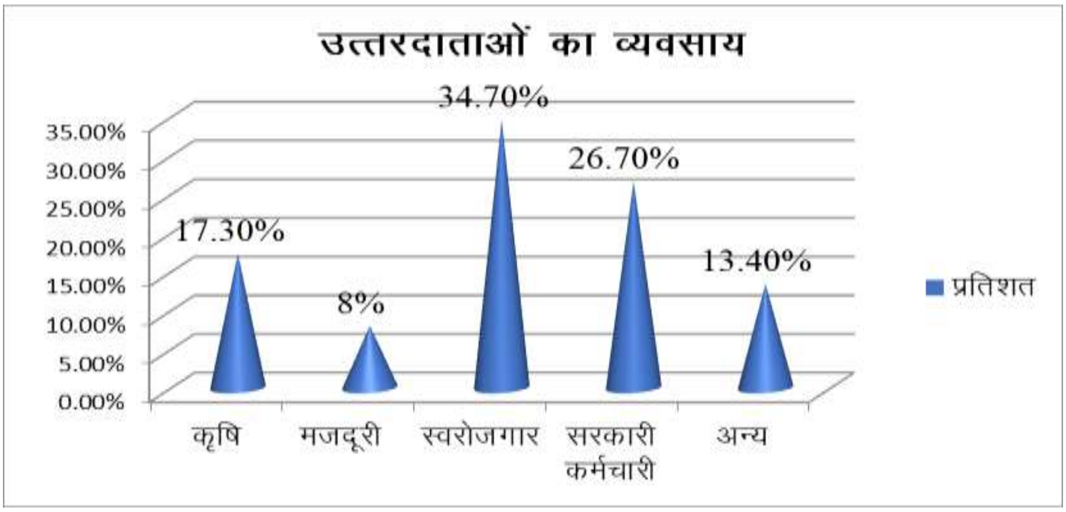

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.4 से पता चलता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से 17.3% उत्तरदाताएं ऐसे है जोकि कृषि कार्य में संलग्न है, 8.0% उत्तरदाताएं ऐसे है जोकि दैनिक मजदूरी करते है, 34.7% उत्तरदाताएं स्वरोजगार करते है, 26. 7% सरकारी कर्मचारी है, जबकि 13.4% ऐसे है जो कि अन्य प्रकार के रोजगार करते है।

अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से ज्यादातर 34.7% उत्तरदाताओं ने जिनकी संख्या लगभग एक तिहाई से अधिक है, वे स्वरोजगार करते है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 13.4% ऐसे है जो कि अन्य प्रकार के रोजगार करते है।

सारणी संख्या–4.5

उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय

वार्षिक आय	उत्तरदाता	प्रतिशत
0 से 1,00000 रूपए तक	18	24%
100001–200000 रुपए तक	23	30.7%
200001–300000 रुपए तक	31	41.4%
300001 रूपए से अधिक	3	4%
कुल योग	75	100.0%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.5

उत्तरदाताओं के परिवार की वार्षिक आय

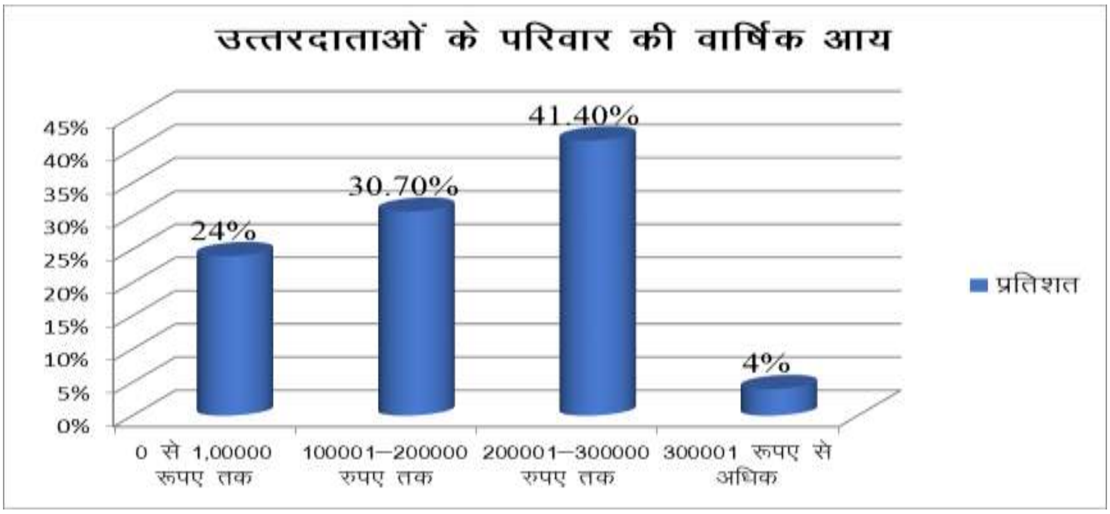

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.5 से पता चलता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से 24.0% उत्तरदाताएं ऐसे है जिनके परिवार की वार्षिक आय 0 स 1 लाख के मध्य में है, 30.7% उत्तरदाताएं ऐसे है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से 2 लाख के मध्य में है, 41.4% उत्तरदाताएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से 3 लाख के मध्य में है, जबकि 4.0% ऐसे है जो जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है।

अतः उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 41.4% उत्तरदाता ऐसे है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से 3 लाख के मध्य में है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 4.0% ऐसे है जो जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है।

भाग–2
डिसेबल्स के प्रति समाज द्वारा अपनाए गये अभिवृत्ति और व्यवहार प्रतिमान

सारणी संख्या–4.6
आपके अनुसार क्या दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	50	66.7%
नहीं	10	13.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	10	13.4%
पता नहीं	5	6.6%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.6

दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में लाने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति

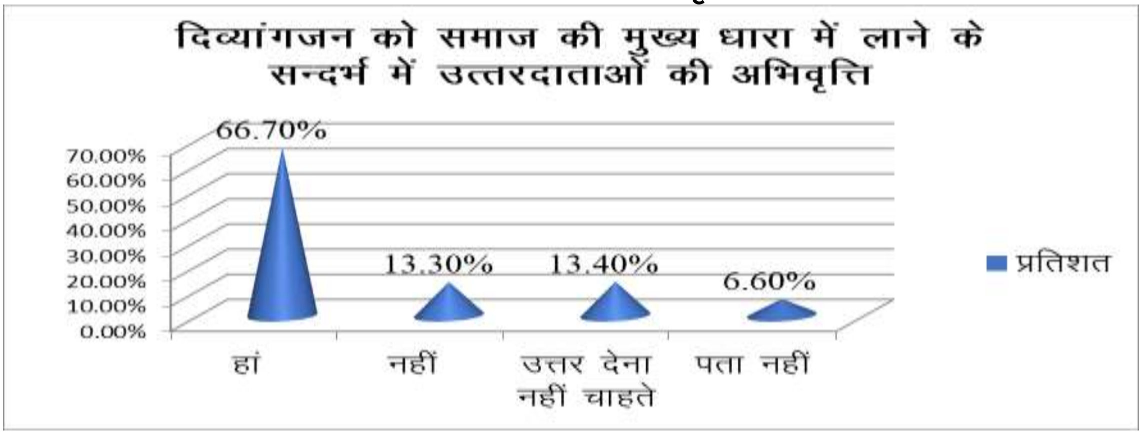

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या – 4.6 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 66.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाना चाहिएं और 13.3% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में नहीं लाना चाहिएं तथा 13.4% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 6.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक 66.7% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिएं।

सारणी संख्या–4.7.

दिव्यांग व्यक्ति के प्रति आपकी क्या अभिवृत्ति है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सहयोग	55	73.4%
घृणास्पद	5	6.6%
उत्तर नहीं देना चाहते	7	9.3%
पता नहीं	8	10.7%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.7.

दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति

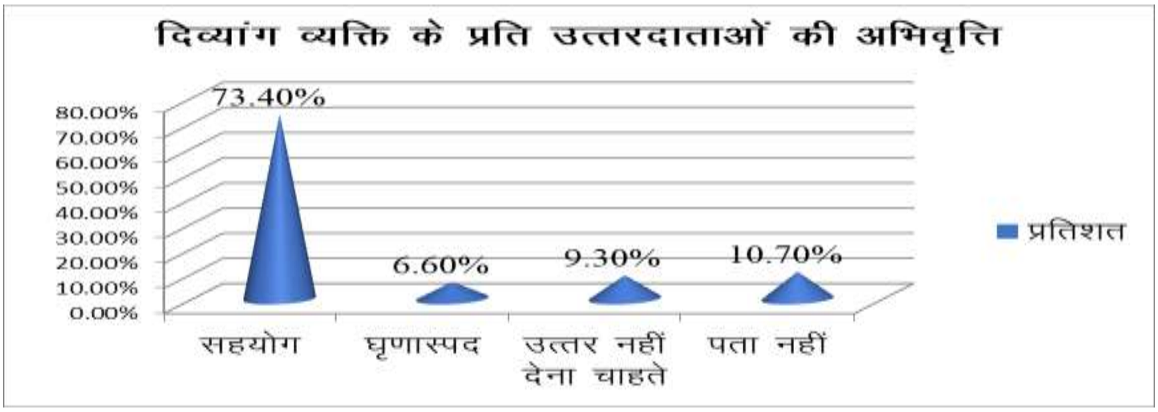

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.7. का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 73.4% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति उनकी अभिवुत्ति सहयोगात्मक है और 6.6% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति उनकी अभिवुत्ति घृणास्पद है तथा 9.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 10.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 73.4% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों के प्रति उनकी अभिवृत्ति सहयोग की है।

सारणी संख्या–4.8

दिव्यांगता संक्रमण जैसी बीमारी है इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
दिव्यांगता को संक्रमण जैसी बीमारी नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होती है	33	44%
पूर्ण रूप से संक्रामित बीमारी है	18	24%
आंशिक रूप से संक्रामित बीमारी है	2	2.6%
उत्तर देना नहीं चाहते	19	25.3%
पता नहीं	3	4%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.8 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 44.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगता को संक्रमण जैसी बीमारी नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होती है और 24.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगता पूर्ण रूप से संक्रामित बीमारी है तथा 2. 6% उत्तरदाता ले कहा कि दिव्यांगता आंशिक रूप से संक्रामित बीमारी है, 25.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 4.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 44.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगता को संक्रमण जैसी बीमारी नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होती है।

सारणी संख्या–4.9

दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।	60	80%
शिक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह परिवार पर आश्रित होते है	2	2.7%
उत्तर देना नहीं चाहते	12	16%
पता नहीं	1	1.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.9 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 80.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है और 2.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह परिवार पर आश्रित होते है

तथा 16.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 1.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 80.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

सारणी संख्या–4.10.

दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में समानता का अनुभव होगा	55	73.3%
ऐसा न करने से दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होगी	10	13.4%
उत्तर देना नहीं चाहते	8	10.7%
पता नहीं	2	2.6%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.10 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 73.3% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में समानता का अनुभव होगा और 13.4% उत्तरदाता कहते है कि ऐसा न करने से दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होगी तथा 10.7% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 2.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 73.3% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में समानता का अनुभव होगा।

सारणी संख्या–4.11
अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार होता है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सहयोग	45	60%
घृणास्पद	20	26.6%
उत्तर देना नहीं चाहते	8	10.7%
पता नहीं	2	2.6%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.8
परिवार में दिव्यांग व्यक्ति होने पर परिवार के सदस्यों का व्यवहार

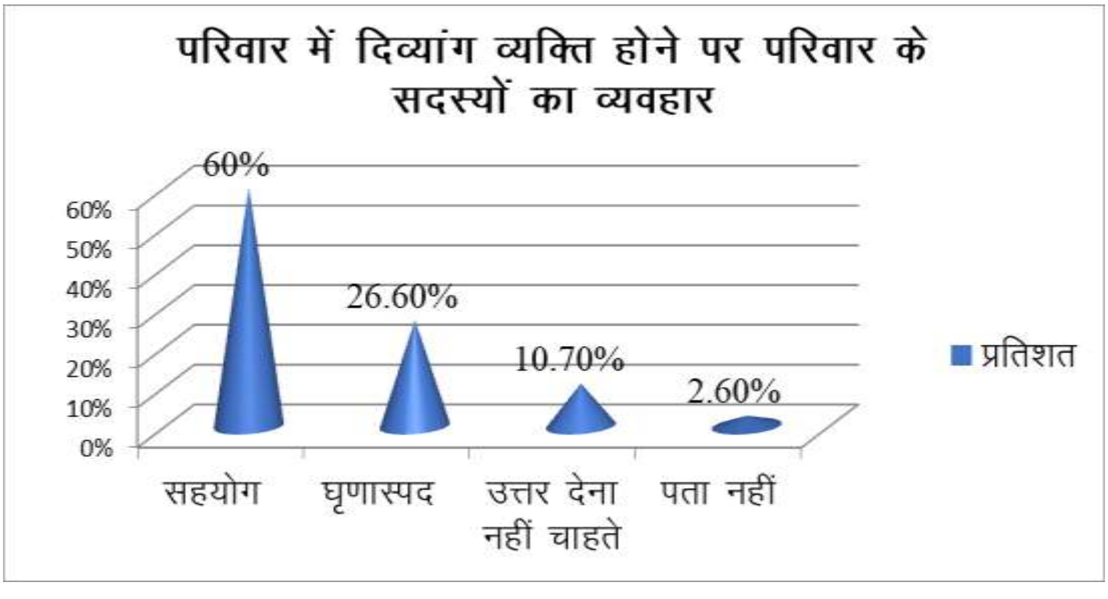

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.11 का अवलोकन करने से पता चलता है कि

कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 60.0% उत्तरदाता कहते है कि अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार सहयोगात्मक होता है और 26.6% उत्तरदाता कहते है कि अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार सहयोगात्मक होता है तथा 10.7% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 2.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 60.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार सहयोगात्मक होता है।

सारणी संख्या–4.12

दिव्यांगजन समाज के विकास में सहायक होते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
पुर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं	33	44%
आंशिक रूप सहयोग दे सकते हैं	10	13.4%
सहयोग का दिव्यांगता से कोई सम्बन्ध नहीं	4	5.4%
उत्तर देना नहीं चाहते	25	33.4%
पता नहीं	3	4%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.12 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 44.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजन समाज के विकास में पुर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं और 13.4% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजन समाज के विकास में आंशिक रूप से सहयोग दे सकते हैं, 5.4% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजन समाज के विकास में सहयोग का दिव्यांगता से

कोई सम्बन्ध नहीं है तथा 33.4% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 4.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 44.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजन समाज के विकास में पुर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं।

सारणी संख्या–4.13

अगर दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते हैं तो क्या तत्काल सुनवाई होती है इस विषय में आपकी क्या राय हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
शिकायत की अनदेखा की जाती है	64	85.4%
उन्हे लगता है कि इनकी समस्याओं के निवारण हेतु थाने में जाना समय की बर्बादी है	7	9.4%
आंशिक रूप से शिकायत की अनदेखी होती है	1	1.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	3	4%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.13 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 85.4% उत्तरदाता कहते है कि यदि दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते है तो उनकी शिकायत की अनदेखा की जाती है और 9.4% उत्तरदाता कहते है कि उन्हे लगता है कि इनकी समस्याओं के निवारण हेतु थाने में जाना समय की बर्बादी है, 1.3% उत्तरदाता कहते है कि यदि दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते है तो उनकी आंशिक रूप से शिकायत की अनदेखी होती है तथा 4.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 0. 0% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 85.4% उत्तरदाता कहते है कि यदि दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते है तो उनकी शिकायत की अनदेखा की जाती है।

सारणी संख्या–4.14

दिव्यांग व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उचित उपचार प्रबंधन किया जाता है इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
हमेशा	13	17.3%
कभी–कभी	17	22.7%
दिव्यांग व्यक्ति के उपचार में किया गया व्यय अलाभकारी है।	32	42.7%
उत्तर देना नहीं चाहते	8	10.6%
पता नहीं	5	6.7%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.14 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 17.3% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उनका हमेशा उचित उपचार प्रबंधन किया जाता है और 22.7% उत्तरदाता कहते है कि कभी–कभी उनका उचित उपचार प्रबंधन किया जाता है, 42.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति के उपचार में किया गया व्यय अलाभकारी है तथा 10.6% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 6.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 42.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति के उपचार में किया गया व्यय अलाभकारी है।

सारणी संख्या–4.15

परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
समारोह में शामिल होना चाहिए	72	96%
शामिल नहीं होना चाहिए	0	0%
दिव्यांग व्यक्ति के शामिल होने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा	1	1.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	2	2.7%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.15 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 96.0% उत्तरदाता कहते है कि परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए और 0.0% उत्तरदाता कहते है कि परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित नहीं होना चाहिए, 1.3% उत्तरदाता कहते है कि परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होने से उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा 2.7% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 0.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 96.0% उत्तरदाता कहते है कि परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए।

सारणी संख्या–4.16

दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
शैक्षणिक संस्थानो का उनके घर से दूर होना	3	4%
निम्न आर्थिक स्थिति	4	5.3%
शारीरिक अक्षमता	3	4%
परिवार में सहयोग की कमी	0	0%
उपरोक्त सभी	65	86.7%
अन्य बताएं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी संख्या–4.16 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 4.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक शैक्षणिक संस्थानो का उनके घर से दूर होना है और 5.3% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक निम्न आर्थिक स्थिति है, 4.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक उनकी शारीरिक अक्षमता है तथा 0.0% उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाला मुख्य कारक उनके पारिवारिक सहयोग की कमी को मानते है, जबकि 86.7% उत्तरदाताओं ने उपरोक्त सभी को मुख्य कारक माना है जबकि 0.0% उत्तरदाताओं ने अन्य कारक को जिम्मेदार माना है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 86.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारको में शैक्षणिक संस्थानो का उनके

घर से दूर होना, निम्न आर्थिक स्थिति, शारीरिक अक्षमता, पारिवारिक सहयोग की कमी को मानते है।

सारणी संख्या–4.17
दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को आप मानते हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
अलाभकारी व्यय	19	25.3%
लाभकारी व्यय	53	70.6%
उत्तर देना नहीं चाहते	3	4%
अन्य बताएं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.9
दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय प्रति समाज की अभिवृत्ति

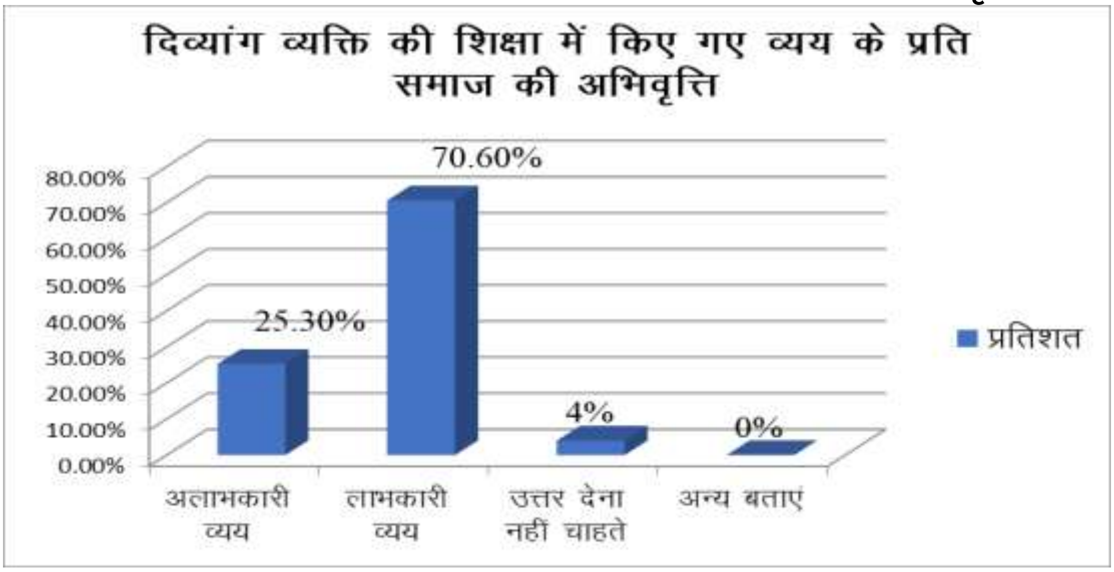

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.17 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 25.3% उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को अलाभकारी मानते है और 70.6% उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को लाभकारी मानते तथा 4.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 0.0% उत्तरदाताओं अन्य को मानते है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 70.6% उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को लाभकारी मानते है।

सारणी संख्या–4.18

अधिकतर परिवार में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां होती हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
घृणास्पद	8	10.7%
सहयोगात्मक	24	32%
उत्तर देना नहीं चाहते	39	52%
पता नहीं	4	5.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.10

परिवार में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां

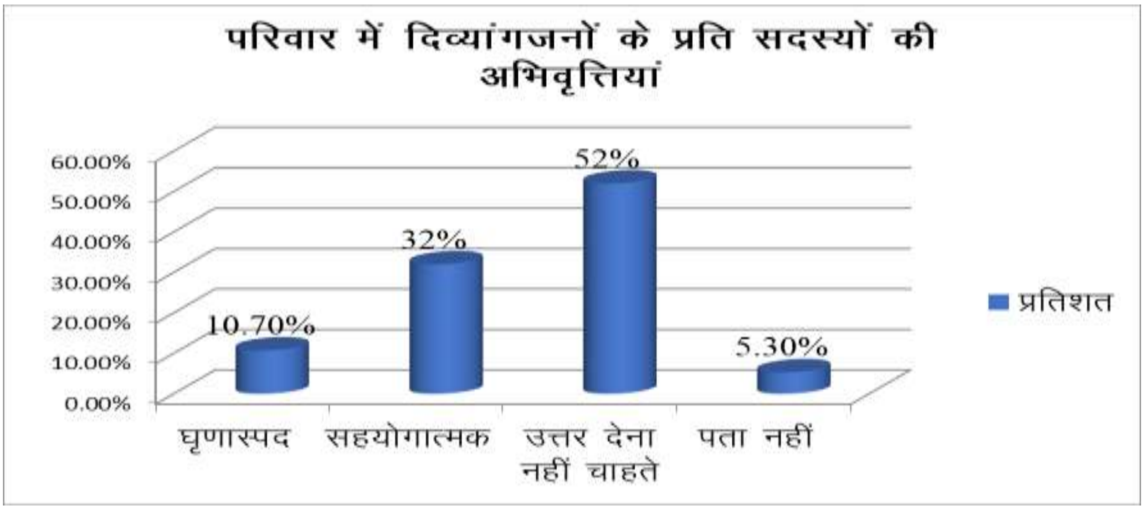

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.18 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 10.7% उत्तरदाता कहते है कि अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां घृणास्पद होती हैं और 32.0%

उत्तरदाता कहते है कि अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां सहयोगात्मक होती हैं तथा 52.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 5.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 52.0% उत्तरदाताओं ने क्या अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां होती हैं के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है

सारणी संख्या–4.19

दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृत्ति होती हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सहयोग	3	4%
उपेक्षित	44	58.6%
उत्तर देना नहीं चाहते	24	32%
पता नहीं	4	5.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.11

दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृत्ति

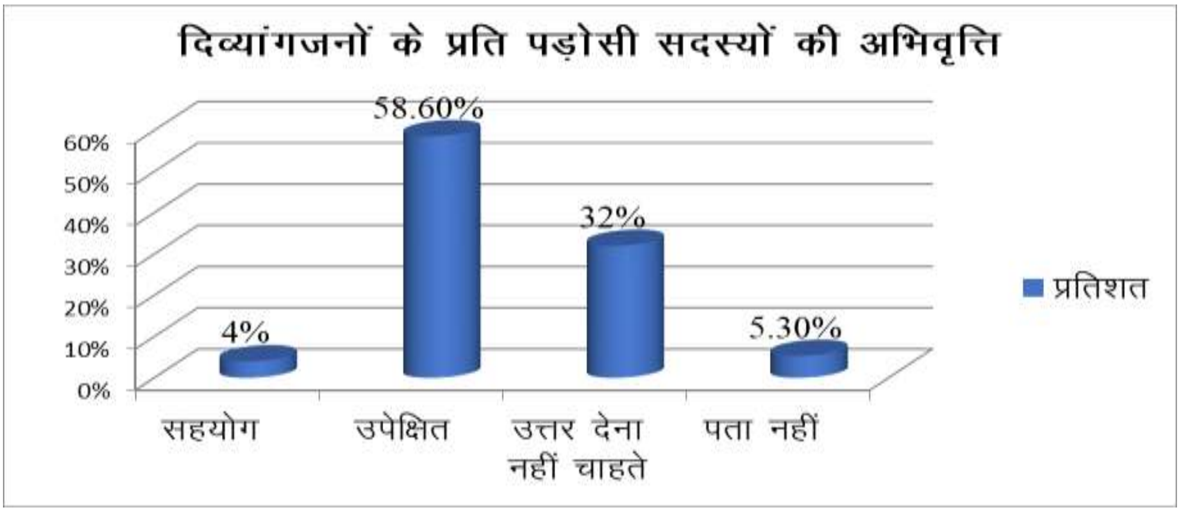

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या–4.19 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 4.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति

पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति सहयोग की होती हैं और 58.6% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति उपेक्षित होती हैं तथा 32.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 5.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 58.6% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति उपेक्षित होती हैं

सारणी संख्या–4.20
क्या दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए क्या आप इस बात से सहमत है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
आंशिक रूप से	3	4%
पूर्ण रूप से सहमत हूं	68	90.7%
पूर्ण रूप से असहमत हूं	2	2.7%
कुछ कह नहीं सकते	2	2.6%
अन्य बताएं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.12
दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिकिया

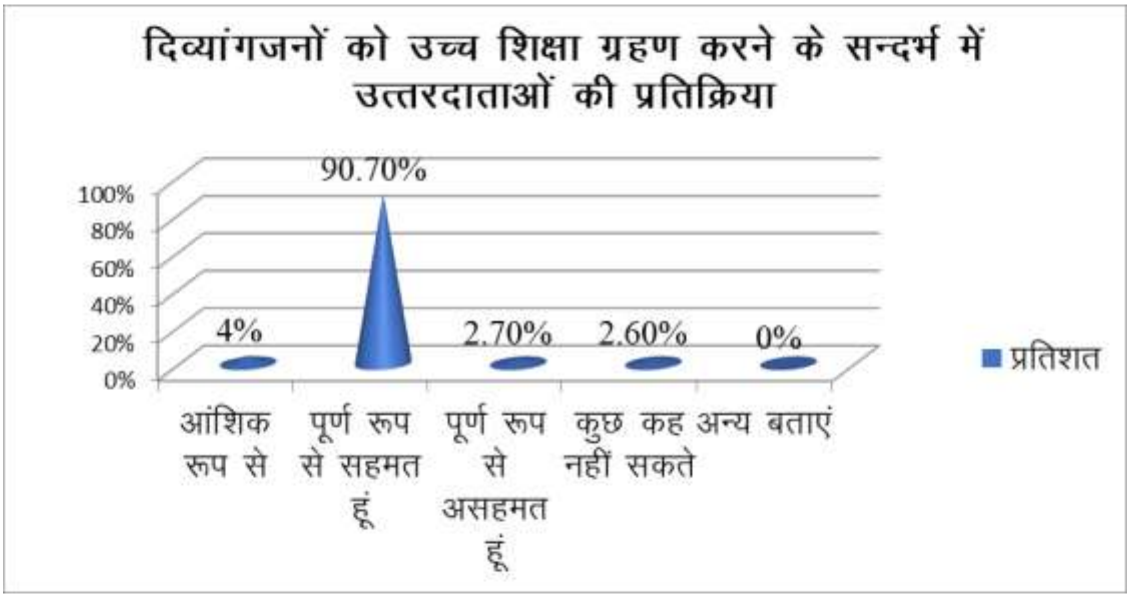

उपरोक्त सारणी संख्या–4.20 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 4.0% उत्तरदाता आंशिक रूप से माना है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए और 90.7% उत्तरदाता पूर्णरूप से सहमत है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए तथा 2.7% उत्तरदाता पूर्णरूप से असहमत है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए जबकि 2.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि वे कुछ कह नहीं सकते है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए या नहीं जबकि 0.0% उत्तरदाता ने अन्य कारक बताया।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 90.7% उत्तरदाता पूर्णरूप से सहमत है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।

सारणी संख्या–4.21
आप दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं इसके क्या कारण हैं

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
समाज का भय	3	4%
मेरी प्रतिष्ठा में कमी आएगी	3	4%
उत्तर देना नहीं चाहते	69	92%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.13
दिव्यांगजनों से विवाह ने करने के उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

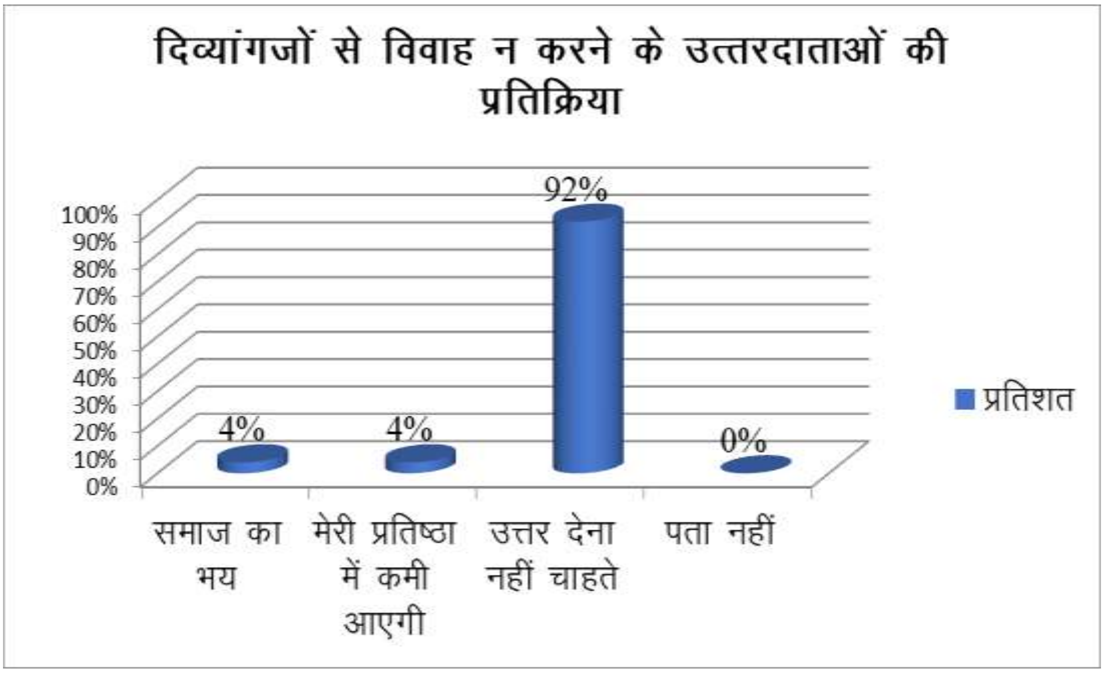

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 4.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि वे समाज के डर से दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं और 4.0 % उत्तरदाताओं ने कहां कि उनकी प्रतिष्ठा में कमी आएगी इसलिए वे दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं तथा 92.0% उत्तरदाताओं ने प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 0.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 92.0% % उत्तरदाताओं ने दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।

सारणी संख्या–4.22
समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन कैसा होता है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सरल होता है	3	4%
चुनौतीपूर्ण होता है	60	80%
उत्तर देना नहीं चाहते	12	16%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.14
समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिकिया

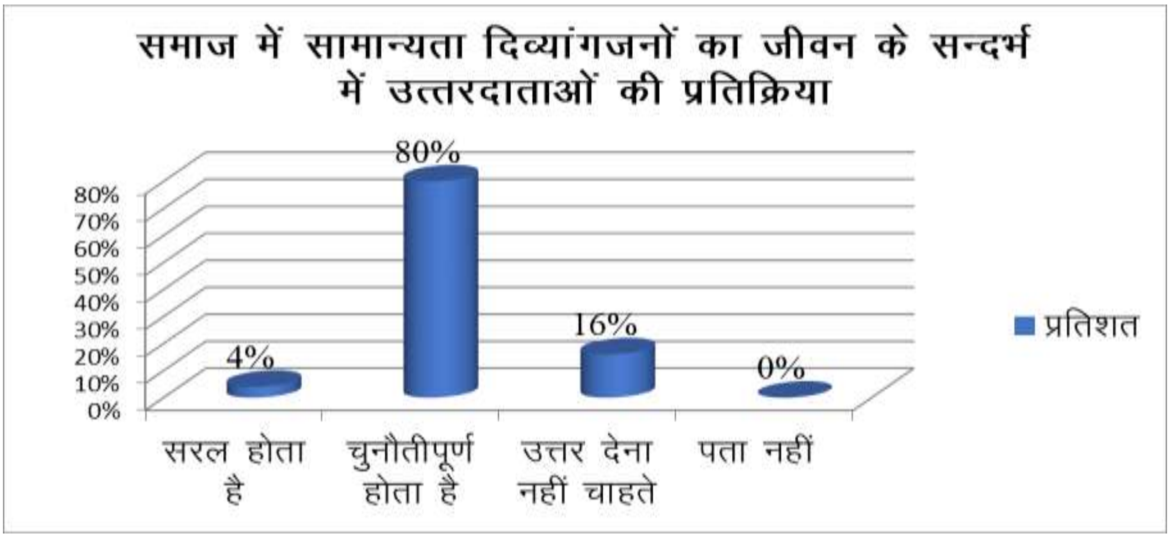

उपरोक्त सारणी और चित्र संख्या का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 4.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन सरल होता है और 80.0 % उत्तरदाताओं ने कहां कि समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है तथा 16.0% उत्तरदाताओं ने प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 0.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 80.0% % उत्तरदाताओं ने कहां कि समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है।

सारणी संख्या–4.23
दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम हो सकते हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सहयोग	45	60%
शिक्षा	30	46.7%
उत्तर देना नहीं चाहते	0	0%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.15

दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

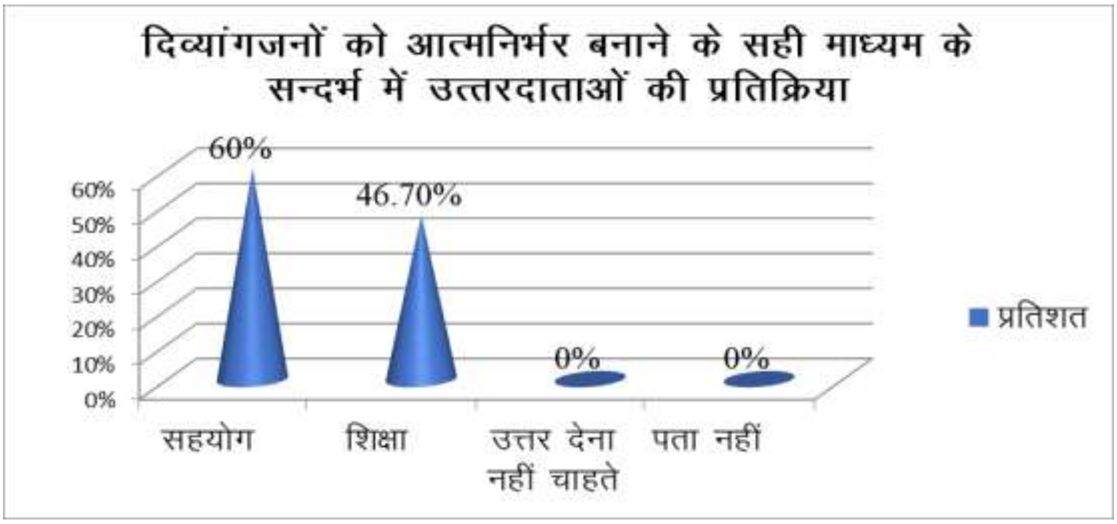

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 60.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम सहयोग हो सकता हैं और 46.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम हो शिक्षा हो सकती हैं तथा 0.0% उत्तरदाताओं ने प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 0.0% उत्तरदाता

को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से कम 60.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम सहयोग हो सकता हैं।

सारणी संख्या–4.24

क्या आपकों दिव्यांगजनों के साथ रहना पसन्द है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां	9	12%
बिल्कुल नहीं	7	9.4%
उत्तर देना नहीं चाहते	59	78.7%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.16

दिव्यांगजनों के साथ रहने के पसन्द के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

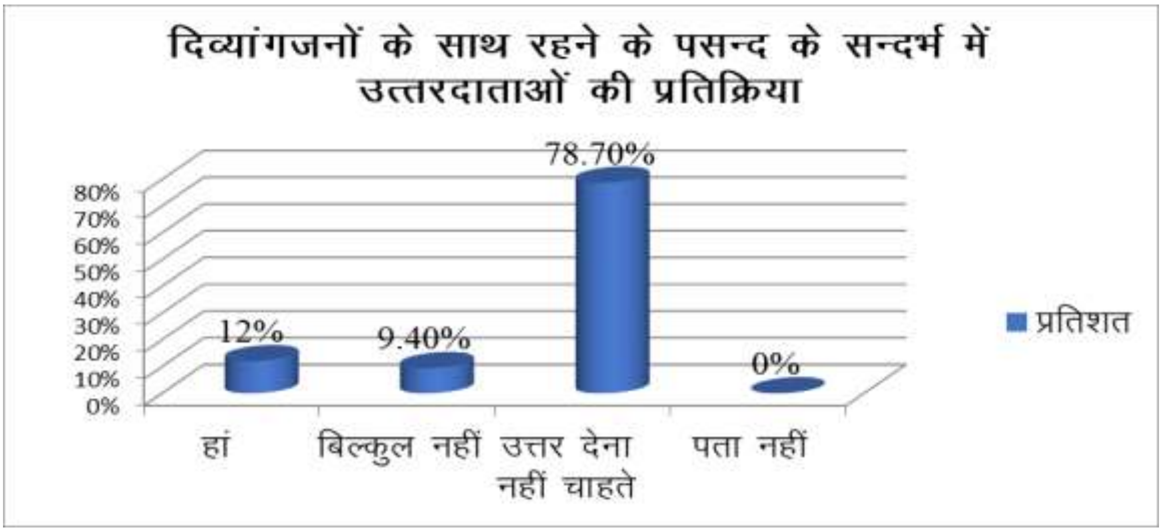

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 12.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे दिव्यांग व्यक्ति के साथ रहना पसन्द है और 9.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हे दिव्यांग व्यक्ति के साथ

रहना बिल्कुल नहीं पसन्द है तथा 78.7% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 0.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 78.7% उत्तरदाताओं ने दिव्यांग व्यक्ति के साथ रहने की पसन्दगी के प्रश्न पर उत्तर नहीं देना चाहते है।

सारणी संख्या–4.25

अगर आप दैनिक जीवन में दिव्यांगजनों से संपर्क रखते हैं तब उस दिव्यांगजनों के प्रति आपकी अभिवृत्ति कैसी रहती हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
पूर्ण रूप से समझ सकते है	43	57.3%
सहयोग की भावना जागृत होगी	25	33.3%
आंशिक रूप से उपेछित	4	5.4%
उत्तर देना नहीं चाहते	2	2.6%
पता नहीं	1	1.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.17

दिव्यांगजनों से संपर्क रखने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति

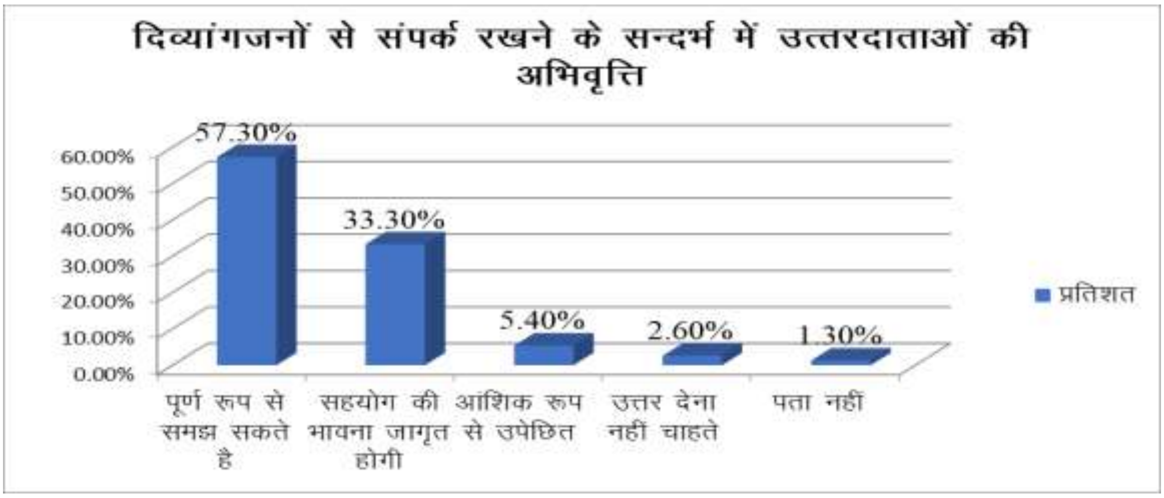

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 57.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति के प्रति

उनकी अभिवृत्ति पूर्ण रूप से समझ सकते है और 33.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उनकी अभिवृत्ति में सहयोग की भावना जागृत होगी तथा 5.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उनकी अभिवृत्ति आंशिक रूप से उपेक्षित होगी 2.6% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 1.3% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः सारणी संख्या–4.20 का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 57.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उनकी अभिवृत्ति पूर्ण रूप से समझ सकते है।

सारणी संख्या–4.26

आपके अनुसार सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार होता है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सहयोग	12	16%
घृणास्पद	9	12%
उत्तर देना नहीं चाहते	46	61.3%
पता नहीं	5	6.7%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.18
सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार

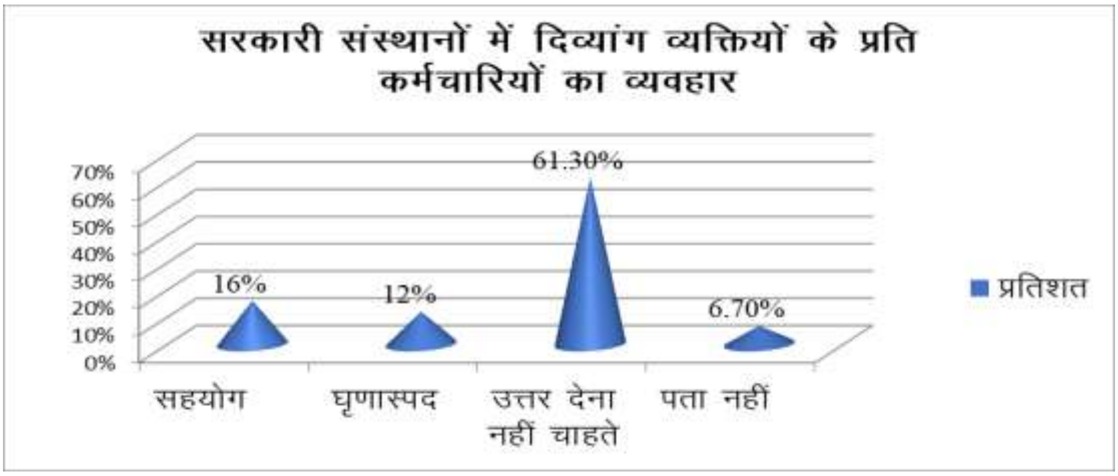

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 16.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार सहयोग का होता है और 12.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार घृणास्पद होता है तथा 61.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 6.7% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 61.3% उत्तरदाता सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का कैसा व्यवहार होता है के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।

सारणी संख्या–4.27

आपके अनुसार सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार होता है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सहयोग	42	56%
घृणास्पद	12	16%
उत्तर देना नहीं चाहते	12	16%
पता नहीं	9	12%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.19

सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार

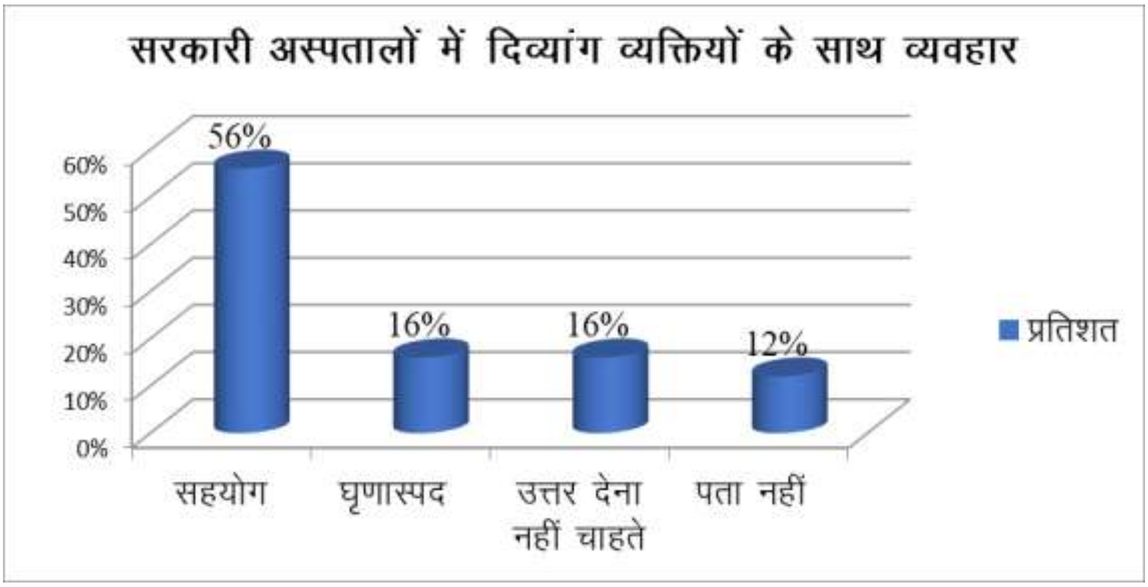

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 56.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार सहयोग का होता है और 16.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार घृणास्पद होता है तथा 16.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 12.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 56.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार सहयोग का होता है।

सारणी संख्या–4.28

दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
करना चाहिए क्योंकि समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं।	58	77.3%
करना चाहिए क्योंकि फिर उनका कोई मखौल नहीं करेंगे	5	6.7%
ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन निर्वाह चुनौतीपूर्ण होगा	7	9.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	2	2.6%
पता नहीं	3	4%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100. 0%) में से 77.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए क्योंकि समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं और 6.7%

उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए क्योंकि फिर उनका कोई मखौल नहीं करेंग तथा 9.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन निर्वाह चुनौतीपूर्ण होगा तथा 2.6% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 4.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 77.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए क्योंकि समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं।

सारणी संख्या–4.29

जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं क्या उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
हां क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविशास बढेगा	33	44%
उन्हें समानता का अनुभव होगा	33	44%
वहां का वातावरण उनके अनुसार नहीं होगा	7	9.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	0	0%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100. 0%) में से 44.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविशास बढेगा और 44.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि उन्हें समानता का अनुभव होगा तथा 9.3% उत्तरदाताओं ने कहां वहां का वातावरण उनके अनुसार नहीं होगा तथा 0.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना

चाहते जबकि 0.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 44.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविशास बढेगा।

सारणी संख्या–4.30

शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखते हैं या उनमें भेदभाव विद्यमान रहता हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
भेदभाव सीखा गया व्यवहार हैं	38	50.6%
भेदभाव विद्यमान रहता हैं	7	9.4%
उत्तर देना नहीं चाहते	28	37.4%
पता नहीं	2	2.6%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.20

दिव्यांगजनों के प्रति भेदभाव करना सीखने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के विचार

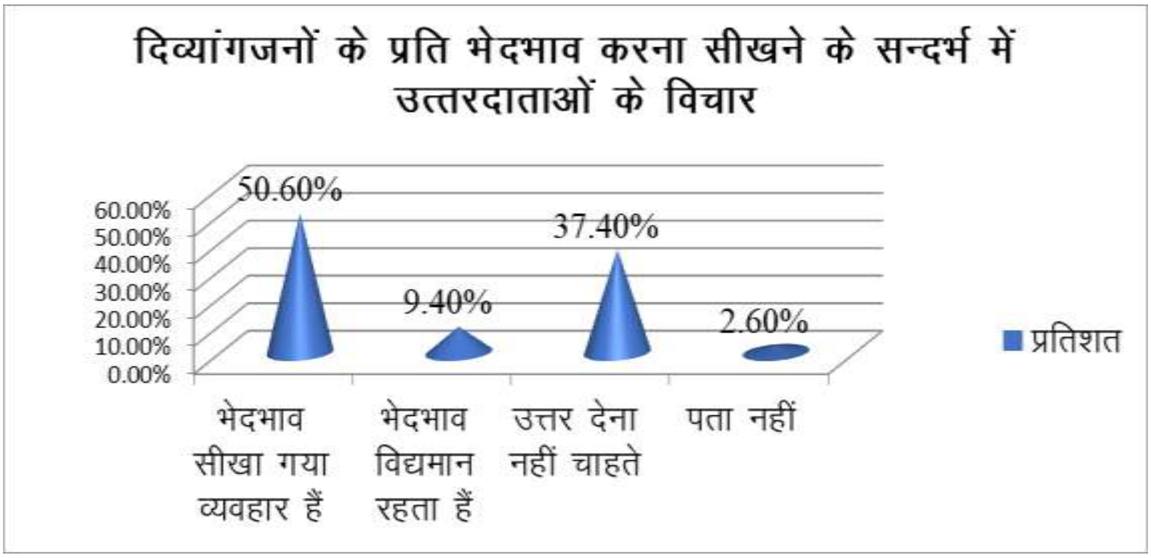

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 50.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारिरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखा गया व्यवहार हैं और 9.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि भेदभाव विद्यमान रहता हैं तथा 37.4% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 2.6% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 50.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारिरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखा गया व्यवहार हैं।

सारणी संख्या–4.31

दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिर्वतन आया है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
पूर्ण रूप से परिवर्तन	16	21.3%
कोई परिवर्तन नहीं।	19	25.3%
आंशिक रूप से परिर्वतन	29	38.7%
उत्तर देना नहीं चाहते	6	8%
पता नहीं	5	6.7%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.21

दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिर्वतन

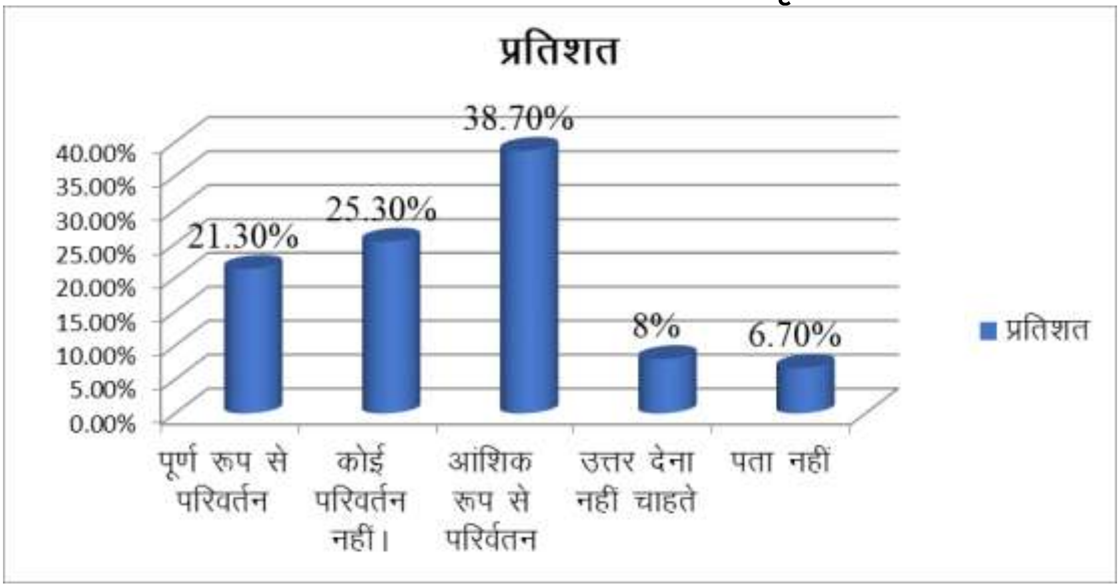

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 21.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में पूर्ण रूप से परिर्वतन आया है और 25.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में कोई परिर्वतन नहीं आया है तथा 38.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि आंशिक रूप से परिवर्तन आया है तथा 8.0% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 6.7% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 38.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में आंशिक रूप से परिर्वतन आया है।

सारणी संख्या–4.32

क्या दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखना चाहिए।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
ऐसा करने से दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आयेगी	4	5.4%
दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस एवम् रिश्तेदारों के संपर्क में आने से समानता का अनुभव होगा	66	88%
छिपा के रखना चाहिए	5	6.7%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100. 0%) में से 5.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखने से दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आयेगी और 88. 0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा

कर रखने से दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस एवम् रिश्तेदारों के संपर्क में आने से समानता का अनुभव होगा तथा 6.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि छिपा के रखना चाहिए तथा 0.0% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 88.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखने से दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस एवम् रिश्तेदारों के संपर्क में आने से समानता का अनुभव होगा।

सारणी संख्या–4.33

किस तरह के दिव्यांगजनों से आप अंतःक्रिया करने में समस्या का अनुभव नहीं करते हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
शारीरिक अक्षमता वाले दिव्यांगजन	6	8%
मानसिक अक्षमता वाले दिव्यांगजन	7	9.4%
सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करते हैं	51	68%
उत्तर देना नहीं चाहते	7	9.3%
पता नहीं	4	5.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 8.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक अक्षमता वाले दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में समस्या का अनुभव नहीं करते है और 9.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि मानसिक अक्षमता वाले दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में समस्या का अनुभव नहीं करते है तथा 68.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करते हैं तथा 9.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते जबकि 5.3% उत्तरदाता को पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से कम 68.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करते हैं।

सारणी संख्या–4.34

दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करने से पूर्व आप क्या– क्या नुभव करते हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
शर्मिंदगी का अनुभव	2	2.7%
समाज का भय रहता है	16	21.4%
समझ नहीं पाते क्या बात करें	14	18.6%
इनमें से कोई विचार नहीं आते	6	8%
उत्तर देना नहीं चाहते	37	49.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 2.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करने से पूर्व वे शर्मिंदगी का अनुभव करते है और 21.4% उत्तरदाताओं ने कहां दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करने से पूर्व उन्हें समाज का भय रहता है तथा 18.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि समझ नहीं पाते क्या बात करें तथा 8.0% उत्तरदाताओं के कोईं विचार नहीं थे जबकि 49.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 49.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है।

सारणी संख्या–4.35

आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार होता है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
अच्छा व्यवहार होता	34	45.3%
किसी भी परिवार में अच्छा व्यवहार नहीं होता	17	22.7%
उत्तर देना नहीं चाहते	19	25.3%
पता नहीं	5	6.7%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 45.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है और 22.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों के साथ किसी भी परिवार में अच्छा व्यवहार नहीं होता है तथा 25.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 6.7% उत्तरदाता को पता नहीं हैं।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 45.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है।

सारणी संख्या–4.36

शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में तत्पर रहते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं	18	24%
आंशिक रूप से तत्पर रहते हैं	27	36%
पुर्ण रूप से उपेक्षित करते हैं	13	17.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	10	13.3%
अन्य बताएं	7	9.4%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.22

दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के विचार

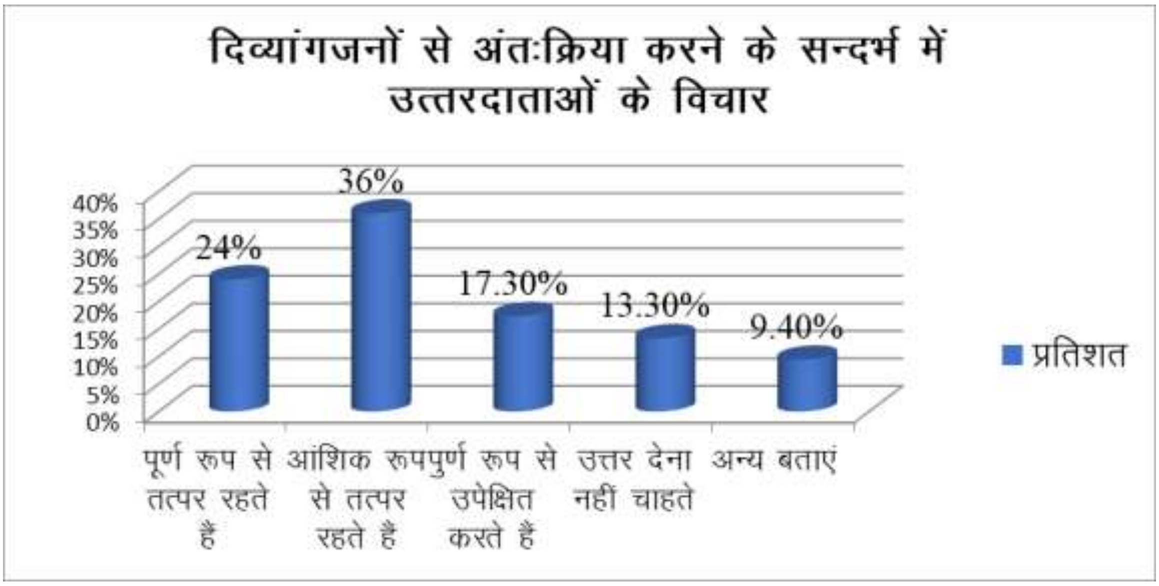

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 24.0% शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं और 36.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में आंशिक रूप से

तत्पर रहते हैं तथा 17.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में पुर्ण रूप से उपेक्षित करते हैं तथा 13.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 9.4% उत्तरदाता ने अन्य बताएं कहा।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 36.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में आंशिक रूप से तत्पर रहते हैं।

सारणी संख्या–4.37

क्या वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में परिवर्तन हुआ है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
पूर्ण रूप से	35	46.6%
आंशिक रूप से	15	20%
कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है	5	6.6%
उत्तर देना नहीं चाहते	20	26.6%
अन्य बताएं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.23

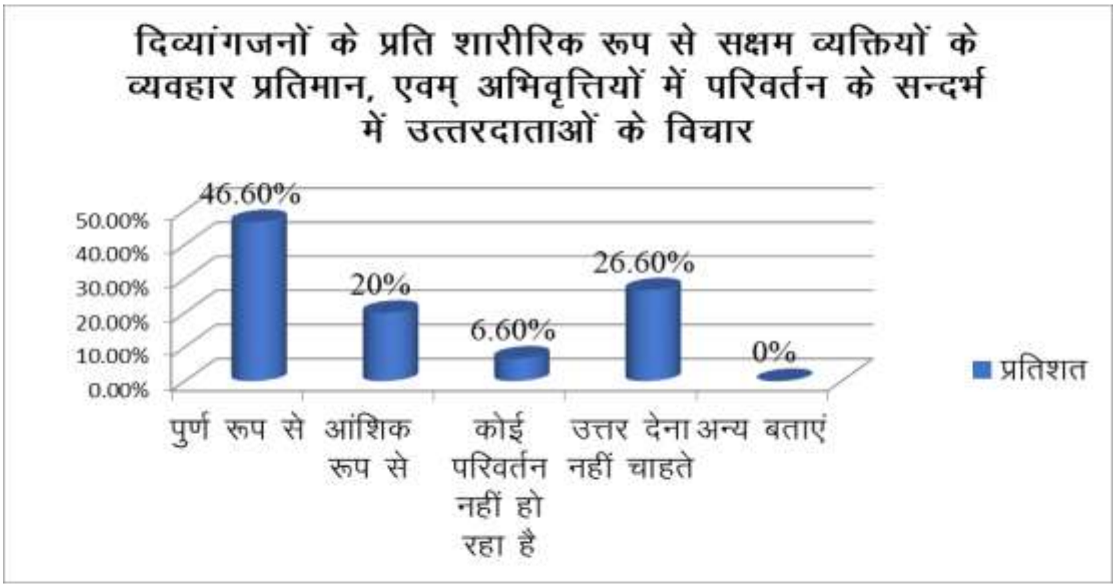

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 46.6% मानते है कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है और 20.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में आंशिक रूप से परिवर्तन हुआ है तथा 6.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा 26.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 0.0% उत्तरदाता ने अन्य बताएं कहा।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 46.6% मानते है कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ है।

सारणी संख्या–4.38

वर्तमान समय में दिव्यांगजनों में आत्मनिर्भता बढ़ी है इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
तकनीकी विकास बढ़ा है	25	33.4%
विचारों में परिवर्तन हुआ	40	53.3%
उत्तर देना नहीं चाहते	10	13.3%
पता नहीं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.24

दिव्यांगजनों में आत्मनिर्भता बढ़ने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

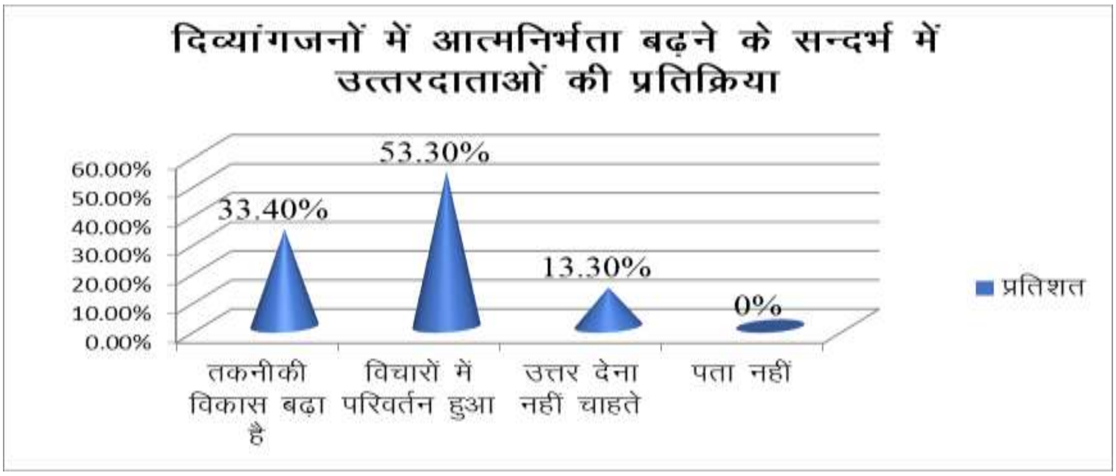

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 33.4% मानते है कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों तकनीकी विकास बढ़ा है और 53.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा 13.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 0.0% उत्तरदाता ने कहा कि पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 53.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के विचारों में परिवर्तन हुआ है।

सारणी संख्या–4.39

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह से परिलक्षित होते हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
नकारात्मक	20	26.7%
सकारात्मक	35	46.7%
उत्तर देना नहीं चाहते	5	6.7%
पता नहीं	15	20%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.25

दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया

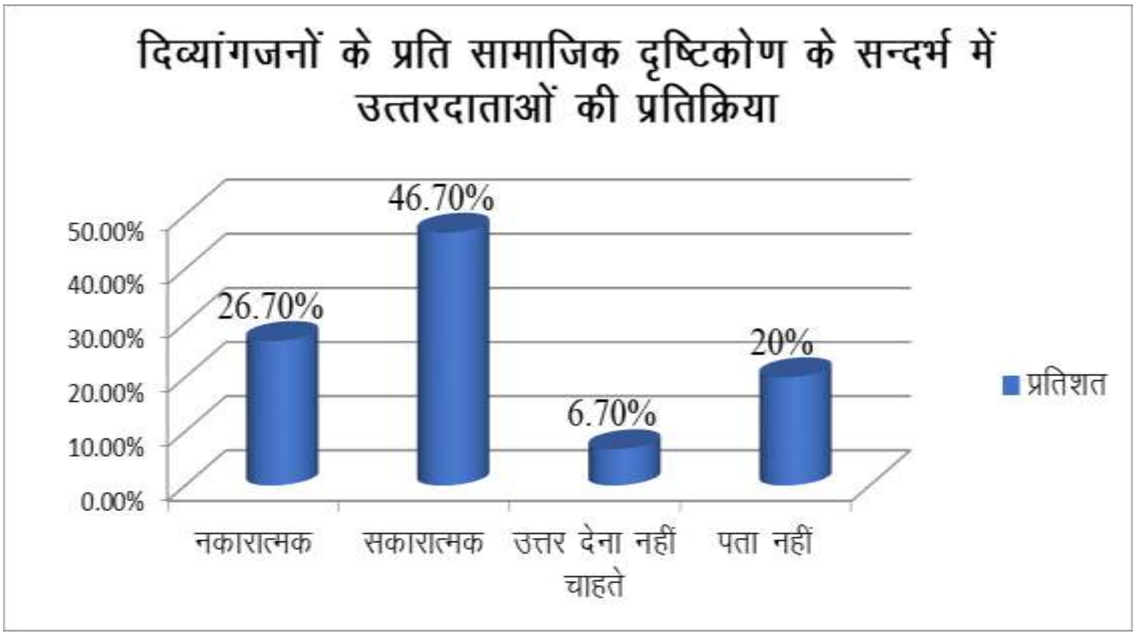

उपरोक्त सारणी और चित्र अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 26.7% मानते है कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक

दृष्टिकोण नकारात्मक परिलक्षित होते हैं और 46.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक परिलक्षित होते हैं तथा 6.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 20.0% उत्तरदाता ने कहा कि पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 46.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक परिलक्षित होते हैं।

सारणी संख्या–4.40

दिव्यांगजनों के प्रति आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इस मुख्य कारक हैं।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
सामाचार पत्र	26	34.6%
मास मीडिया	8	10.7%
दिव्यांगजनों से सम्पर्क	40	53.4%
अन्य बताएं	1	1.3%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

चित्र संख्या–4.26

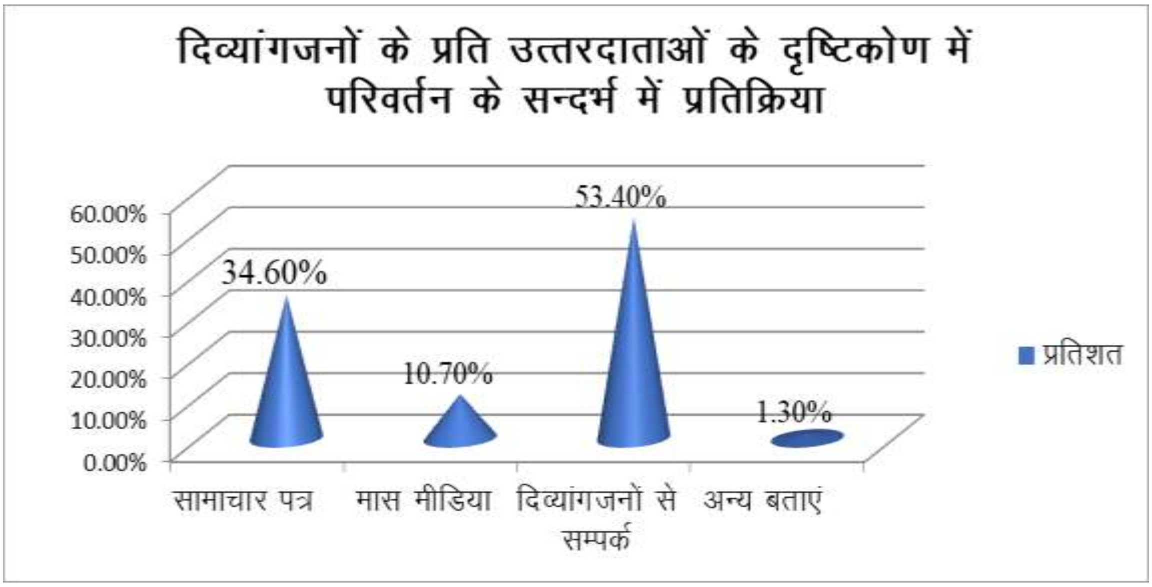

उपरोक्त सारणी और चित्र का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100.0%) में से 34.6% मानते है कि दिव्यांगजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इसका मुख्य कारक सामाचार पत्र **हैं** और 10.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इसका मुख्य कारक मास मीडिया **हैं** तथा 53.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इसका मुख्य कारक दिव्यांगजनों से सम्पर्क **हैं** जबकि 1.3% उत्तरदाता ने कहा कि अन्य बताएं ।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 53.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इसका मुख्य कारक दिव्यांगजनों से सम्पर्क **हैं।**

सारणी संख्या–4.41

दिव्यांगजन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अक्षम होते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है।

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
कार्य करने की क्षमता कम होती हैं	60	80%
कुछ कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं।	10	13.4%
उत्तर देना नहीं चाहते	3	4%
पता नहीं	2	2.6%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100. 0%) में से 80.0% मानते है कि दिव्यांगजन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अक्षम होते हैं क्योकि उनमें कार्य करने की छमता कम होती हैं और 13.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि कुछ कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तथा 4.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि प्रश्न का उत्तर

नहीं देना चाहते है जबकि 2.6% उत्तरदाता ने कहा कि पता नहीं है।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 80.0% मानते है कि दिव्यांगजन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अक्षम होते हैं क्योकि उनमें कार्य करने की छमता कम होती हैं।

सारणी संख्या–4.42

दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को कहां पाते हैं

प्रतिक्रिया	उत्तरदाता	प्रतिशत
आंशिक रूप से सकारात्मक विचार	45	60%
आंशिक रूप से उपेक्षित	20	26.7%
अन्य लोगों की अपेक्षा उच्च विचार	8	10.6%
उत्तर देना नहीं चाहते	2	2.6%
अन्य बताएं	0	0%
कुल योग	75	100%

स्त्रोत : क्षेत्र अध्ययन

उपरोक्त सारणी का अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल उत्तरदाताओं (100. 0%) में से 60.0% मानते है कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को आंशिक रूप से सकारात्मक विचार पाते हैं और 26.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि आंशिक रूप से उपेक्षित पाते है तथा 10.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि अन्य लोगों की अपेछा उच्च विचार पाते है व 2.6% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है जबकि 0.0% उत्तरदाता ने कहा कि अन्य बताएं।

अतः अवलोकन करने से पता चलता है कि कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 60.0% मानते है कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को आंशिक रूप से सकारात्मक विचार पाते हैं।

अध्याय पंचम
निष्कर्ष एवं सुझाव

पंचम अध्याय

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध में दिव्याजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों में दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों को मापने को हेतु साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गयी है जिसके माध्यम से शोधार्थी ने दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों को मापा है।

शोध उद्देश्य :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन दिव्यांगजनों के प्रति समाज की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानो पर आधारित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों, परिवार, पड़ोस एवं समुदाय की अभिवृत्तियों को समझना ।
2. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांग जनों के प्रति समाज के सदस्यों के व्यवहार के प्रतिमानो को समझना ।
3. प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानो में अंतर्संबंध तथा इन दोनों में अंतर विश्लेषण करना ।

- **शोध उपकल्पना :–**

अनुसंधान कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुसंधान के संबंध में जो कल्पना की जाती है उसी को परिकल्पना कहते हैं परिकल्पना की सहायता से हम जीवन के अपरिचित क्षेत्र में प्रवेश करते हैं ।

1. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांग जनों के प्रति समाज के सदस्यों, परिवार ,पड़ोस एवं समुदाय में सकारात्मक अभिवृत्ति तथा दया ,करुणा ,सहयोग आदि परिलक्षित होती है ।

2. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांग जनों के प्रति समाज के सदस्यों के व्यवहार प्रतिमानो में उतार–चढ़ाव सकारात्मक व नकारात्मक देखने को मिलता है ।

3. प्रस्तुत शोध परिकल्पना दिव्यांगजनों के प्रति समाज के सदस्यों की अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमान में अंतर होता है ।

अध्ययन के परिणाम :

- कुल उत्तरदाताओं में से 53.3% उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग आधे से अधिक है उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 9.3% उन उत्तरदाताओं का है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक की है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से से लगभग आधे से अधिक 57.4% उत्तरदाता हिंदू धर्म को मानने वाले है जबकि सबसे कम प्रतिशत 6.7% उत्तरदाताएं अन्य दूसरे धर्म को मानने वाले है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग एक–चौथाई से अधिक 26.7% उत्तरदाताओं ने जोकि लगभग एक तिहाई से अधिक है, उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 12.0% उत्तरदाताएं ऐसे है जिन्होने माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से ज्यादातर 34.7% उत्तरदाताओं ने जिनकी संख्या लगभग एक तिहाई से अधिक है, वे स्वरोजगार करते है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 13.4% ऐसे है जो कि अन्य प्रकार के रोजगार करते है।
- कुल 100% उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 41.4% उत्तरदाता ऐसे है जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से 3 लाख के मध्य में है, जबकि सबसे कम प्रतिशत 4.0% ऐसे है जो जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक 66.7% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिएं।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 73.4% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों के प्रति उनकी अभिवुत्ति सहयोग की है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 44.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगता को संक्रमण जैसी बीमारी नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होती है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 80.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 73.3% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में समानता का अनुभव होगा।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 60.0% उत्तरदाताओं ने स्वीकार्य किया कि अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार
- के सदस्यों के प्रति उत्तरदाताओं का व्यवहार सहयोगात्मक होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 44.0% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजन समाज के विकास में पुर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 85.4% उत्तरदाता कहते है कि यदि दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते है तो उनकी शिकायत की अनदेखा की जाती है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 42.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति के उपचार में किया गया व्यय अलाभकारी है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 96.0% उत्तरदाता कहते है कि परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 86.7% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारको में शैक्षणिक संस्थानो का उनके घर से दूर होना, निम्न आर्थिक स्थिति, शारीरिक अक्षमता, पारिवारिक सहयोग की कमी को मानते है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई 70.6% उत्तरदाता दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को लाभकारी मानते है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 52.0% उत्तरदाताओं ने क्या अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां होती हैं के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 58.6% उत्तरदाता कहते है कि दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति उपेक्षित होती हैं
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 90. 7% उत्तरदाता पूर्ण रूप से सहमत है कि दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 92. 0% उत्तरदाताओं ने दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक और 80. 0% उत्तरदाताओं ने कहां कि समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन चुनौतीपूर्ण होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से कम 60.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम सहयोग हो सकता हैं।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 57.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति के प्रति उनकी अभिवृत्ति पूर्ण रूप से समझ सकते ळें
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 61.3% उत्तरदाता सरकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का कैसा व्यवहार होता है के प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 56.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार सहयोग का होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 77.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए क्योंकि समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 44.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविश्वास बढेगा।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 50.6% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखा गया व्यवहार हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 38.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में आंशिक रूप से परिर्वतन आया है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से अधिक 88.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखने से दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस एवम् रिश्तेदारों के संपर्क में आने से समानता का अनुभव होगा।

- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग तीन–चौथाई से कम 68.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 49.3% उत्तरदाता प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 45.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति अच्छा व्यवहार होता है।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 36.0% उत्तरदाताओं ने कहां कि शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतःक्रिया करने में आंशिक रूप से तत्पर रहते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से कम 46.6% मानते है कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृत्तियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ **है**।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 53.3% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के विचारों में परिवर्तन हुआ **है**।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 46.7% उत्तरदाताओं ने कहां कि वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक परिलक्षित होते हैं।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे 53.4% उत्तरदाताओं ने कहां कि दिव्यांगजनों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन हुए हैं इसका मुख्य कारक दिव्यांगजनों से सम्पर्क **हैं**।
- कुल (100.0%) उत्तरदाताओं में से लगभग आधे से अधिक 60.0% मानते है कि दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को आंशिक रूप से सकारात्मक विचार पाते हैं।

निष्कर्ष : प्रस्तुत शोध में दिव्याजनों के प्रति सामाजिक अभिवृत्तियों एवं व्यवहार प्रतिमानों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध के उद्देश्यों में दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों को मापने हेतु साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गयी है जिसके माध्यम से शोधार्थी ने दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्तियों को मापा है।

दिव्यांगजन सामाजिक रूप से बहिष्कृत है उन्हे समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिएं तभी वे सामाजिक रूप से समायोजित हो सकते है।

समाज में रह रहे लोगो की अभिवृत्ति दिव्यांगजनों के प्रति सहयोगात्मक है, समाज में रह रहे लोगों का मानना है कि दिव्यांगजन शिक्षित होंगे तभी वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे, दिव्यांगजन समाज के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते है, दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी गैर–दिव्यांग व्यक्ति की तरह समारोहो में शामिल होना चाहिएं। इस शोध में पाया गया है कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति उनके परिवार एवं पड़ोस की अभिवृत्ति और व्यवहार सकारात्मक है, गैर–दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांगजनों की समस्याओं और चुनौतियों को समझतें है, सरकारी संस्थानो में कर्मचारियों का व्यवहार कम सहयोगात्मक रहता है, जबकि सरकारी अस्पतालों में दिव्यांगजनों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार पूर्ण रूप से सहयोगात्मक होता है वही समाज में रह रहे ज्यादातर लोगों का मानना है कि दिव्यांग छात्रों को शारीरिक रूप से सक्षम छात्रों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करना चाहिएं जिससे कि दिव्यांगजनों का आत्मविश्वास बढ़े, समाज में रह रहे लोगो का माना है कि दिव्यांगजनों के प्रति गैर–दिव्यांगजनों का भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके समाजीकरण के कारण होता है, आज भी समाज में रह रहे शिक्षित व्यक्तियों का दिव्यांगजनों के प्रति अभिवृत्ति और व्यवहार पूर्ण रूप से सकारात्मक नहीं है, जबकि शिक्षित व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि दिव्यांगजनों के प्रति उनका व्यवहार सकारात्मक होगा, शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से आंशिक रूप से अन्तःक्रिया करते है क्योकि उन्हे लगता है कि वे अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिएं उन पर निर्भर हो जाऐगे, पहले की अपेक्षा वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के दृष्टिकोण में बदलाव आया है वे अपने आपको समाज की मुख्यधारा में जोड़कर अपने आप को समाज का हिस्सा समझने लगे है।

सुझाव :

1. समाज के गैर–दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगजनों के प्रति जागरूक करना चाहिएं जिससे दिव्यांगजनों के प्रति उनका व्यवहार और अभिवृत्ति सकारात्मक हो सके।
2. दिव्यांगजनों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की पूर्णरूप से आवश्यकता है।
3. दिव्यांगजनों की भावनात्मकता को ध्यान में रखकर घर, परिवार, समाज आदि के स्थानों पर एक समान सम्मान देना चाहिए जिससे दिव्यांगजनों में सकारात्मकता का उद्भव हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(REFERENCES)

1. Agmon M, Saar A, Araten-Bergman T. (2016). The person in the disabled body: a perspective on culture and personhood from the margins. *International Journal Equity Health*; vol.15(1): pp.147. Retrieved from DOI: 10.1186/s12939-016-0437-2.
2. Amoak, J.B. (1975). Division of Rehabilitation Status Report. Accra Ghana *Ministry of Labour, Social Welfare, and Community.* Retrieved From **https://dsq-sds.org/article/view**/3197/3068
3. Antonak, R. F., & Livneh, H. (2000). Measurement of Attitudes toward Persons with Disabilities. *Disability and Rehabilitation*, Vol. 22, pp. 211–224. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/12503479_Measurement_of_attitudes_toward_persons_with_disabilities
4. Avsthi, G.D. et.al (2011). उत्तर प्रदेश में विकास कार्यक्रमों की एक झलक। भारत बुक सेन्टर.
5. Berners, Colin; Geoffrey Mercer and Tom Shakespeare (1999). Exploring Disability: A Sociological Introduction. Polity Press, United Kingdom.
6. Burtner, P. (2017). Society's Attitude toward People with Disabilities. Retrieved from https://paul-burtner.dental.ufl.edu/oral-health-care-for-persons-with-disabilities/societys-attitude-toward-people-with-disabilities/
7. Chomba Wa Munyi Kenyatta, (2012). Past and Present Perceptions Towards Disability : A Historical Perspective. Vol. 32 (2). Retrieved From https://dsq-sds.org/article/view/3197/3068
8. Dalal, A.K., (2002). Disability Rehabilitation in a Traditional Indian Society. Selected Readings in Community based Rehabilitation: Series 2.
9. Dawn.R (2012). Challenges in the Employments of Persons with Disability. Economic and Political Weekly. Vol. 47(36), pp. 20- 22.
10. Ghai. A (2015). Disability and Social Movements: A Reflection. *India International Centre Quarterly,* Vol. *42*(1), pp. 12–25. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/26316659

11. Goffman Erving (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Retrieved From https://www.freelists.org/archives/sig-dsu/11-2012/pdfKhTzvDIi8n.pdf
12. Gulyani, R. (2017). Educational Policies in India with Special Reference to Children with Disabilities. *Indian Anthropologist*, Vol. *47*(2), pp. 35–51. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/26494030.
13. Hobbs, M.C(1973). The Future of Children Categories and their Consequences.. San Francisco: Jossey Bass.
14. Mehrotra, N. (2011). Disability Rights Movement in India: Politics of Practice. *Economic and Political Weekly,* Vol. 46(6). pp. 65-72. Retrieved from **https://www.jstor.org/stable/i27918095**
15. Mehrotra, N. (2004). Women, Disability and Social Support in Rural Haryana. *Economic and Political Weekly*. Vol.39(52), pp. 5640-5644. Retrieved from https://www.epw.in/journal/2004/52/special-articles/women-disability-and-social-support-rural-haryana.html
16. Mishra, S. (2018). Removing Social Barriers through Changing Attitudes towards Differently Abled Persons. *Journal of Modern Education Review.* Vol.8(5), pp. 320-337.
17. Riddell et.al.(2005). Social justice and disable people principles and challenges. Retrieved from https://www.cambridge.org/core/terms.
18. Saini, M. and Kapoor, A.K. (2020). Perception, Attitude, and Behavior toward Persons with Disabilities in India. *Indian J Phys Med Rehab* ; Vol. 31(2): pp. 42–45. Retrieved from https://www.ijopmr.com/doi/IJOPMR/pdf/10.5005/jp-journals-10066-0074
19. Sen, Amartya (1988). The Concept of Development in Shrinivasan, T.N.; Chenery, Hollis (eds), Handbook of Development Economics, pp, 2-23 , Elsevier Science Publishing Company, Amsterdam New York, U.S.A..
20. Singal, N., & Jain, A. (2012). Repositioning youth with disabilities: Focusing on their social and work lives. *Comparative Education*, *48*(2), pp.167-180.
21. Singh, K. R. Sudhir and K. A. Kachhap (2008). Disability, Citizenship and Exclusion. Anamika Publishers, New Delhi.

22. Singh, P. (2014). Persons with Disabilities and Economic Inequalities in India. *Indian Anthropologist*, Vol. *44*(2), pp. 65–80. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/43899390.
23. Sukhramani N, Verma S. (2013). Disability as diversity: the Indian perception. Diversity and respect-problems of perception in the global agenda for social work. Oldenburg: Paulo Freire Verlag; pp. 109–122.
24. Thomas, C (1999). Female Forms: Experiencing and Understanding Disability. Buckingham: Open University Press.
25. Umer Jan Sofi and Reeba Mariyam Cherian (2011). Social Exclusion of Disabled Persons in India and their Attitude Towards Society, Munich, GRIN Verlag. Retrieved from https://www.grin.com/document/273030/ 9/3/2022.
26. United Nations Convention on the Rights of Person with Disabilities, 13 Dec. 2006.
27. World Health Organization. World Report on Disability 2011. World Health Organization; pp. 1–311.
28. Wright, B.A. (1960).. Physical Disability: A Psychological Approach.. New York: Harper and BON.

वेबसाइट:

1. . https://en.m.wikpedia.org/wiki/Disability -in-india.
2. https://aif.org/the-power-of-a-story-perception-andAttitudes-towards-People-with-disabilities/
3. https://humanity-inclusion.org.uk/en/action/ disability-the-global-picture
4. https://wecapale.com/disabled-population-india- data/
5. https://www.disabled-world.com/disability/statistics/
6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ PMC/articles/ PMCS.9931476/
7. https://www.ncsl.com.pg/wp-content/uploads/2020/07/2019-Annual-Report.pdf
8. https://www.parinaamdekho.com
9. https://www.worldhealthsummit.org/whs-2022/media-center.html
10. WHO Results Report 2020-2021
11. www. niepid.nic.in 2021

परिशिष्ट

परिशिष्ट (Appendix)

1. उत्तरदाता का नाम.......................................

2. उम्र– 18–30 वर्ष के मध्य / 31–45 वर्ष के / 46–60 वर्ष के मध्य / 60 वर्ष से अधिक

3. धर्म– हिंदू / मुस्लिम / सिख / अन्य

4. शैक्षणिक स्थिति– प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / उच्च शिक्षा / अशिक्षित

5. व्यवसाय– कृषि / मजदुरी / स्वरोजगार / सरकारी कर्मचारी / अन्य।

6. वार्षिक आय– 0 से 1,0000रूपए तक / 100001रूपए से 2,00000 रूपए तक / 2,00001 रूपए से 3,00000 रूपए तक / 3,00001 रूपए से अधिक।

7. आपके अनुसार क्या दिव्यांगजन को समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए।

   (क). हां
   (ख). नहीं
   (ग). उत्तर देना नहीं चाहते
   (घ). पता नहीं

8. दिव्यांग व्यक्ति के प्रति आपकी क्या अभिवृति है।
   (क). सहयोग
   (ख). घृणासपद
   (ग). उत्तर देना नहीं चाहते
   (घ). पता नहीं

9. दिव्यांगता संक्रमण जैसी बीमारी है इस विषय में आपकी क्या राय है।
   (क). दिव्यांगता को संक्रमण जैसी बीमारी नहीं समझना चाहिए क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होती है
   (ख). पूर्ण रूप से संक्रामित बीमारी है
   (ग). आंशिक रूप से
   (घ). उत्तर देना नहीं चाहते
   (ङ). पता नहीं

10. दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है ।

(क). दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है।

(ख). शिक्षा की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह परिवार पर आश्रित होते

(ग). उत्तर देना नहीं चाहते

(घ). पता नहीं

11. दिव्यांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वास्थ्य बच्चे के पास रहना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।

(क). रहना चाहिए क्योंकि इससे दिव्यांग व्यक्ति में समानता का अनुभव होगा

(ख). ऐसा न करने से दिब्यांग व्यक्ति में हीन भावना जागृत होगी

(ग). पता नहीं

12. अगर किसी परिवार में दिव्यांग व्यक्ति है तो आपका उस परिवार के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार होता है।

(क). सहयोग

(ख). घृणास्पद

(घ). उत्तर देना नहीं चाहते

(ड़). पता नहीं

13. दिव्यांगजन समाज के विकास में सहायक होते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है।

(क). पुर्ण रूप से सहयोग दे सकते हैं

(ख). आंशिक रूप

(ग). सहयोग का दिव्यांगता से कोई सम्बन्ध नहीं

(घ). उत्तर देना नहीं चाहते

14. अगर दिव्यांगजन अपनी कोई शिकायत थाने में दर्ज करवाते हैं तो क्या तत्काल सुनवाई होती है इस विषय में आपकी क्या राय हैं।

(क). अनदेखा किया जाता है
(ख). उन्हे लगता है कि इनकी समस्याओं के निवारण हेतु जाना समय की बर्बादी है
(ग). आंशिक रूप से होती है
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते
(ड़). पता नहीं

15. दिव्यांग व्यक्ति के अस्वस्थ होने पर उचित उपचार प्रबंधन किया जाता है इस विषय में आपकी क्या राय है।
(क). हमेश
(ख). कभी कभी
(ग). दिव्यांग व्यक्ति के उपचार में किया गया व्यय अलभकारी है
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते
(ड). अन्य बताएं

16. परिवार व पड़ोस के किसी समारोह में दिव्यांग व्यक्ति को सम्मिलित होना चाहिए इस विषय में आपकी क्या राय है।
(क). समारोह में शामिल होना चाहिए
(ख). शामिल नहीं चाहिए
(ग). दिव्यांग व्यक्ति में शामिल होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते
(ड़). पता नहीं

17. दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं।

(क). शैक्षणिक संस्थानो का उनके घर से दूर होना
(ख). निम्न आर्थिक स्थिति
(ग). शारीरीक अक्षमता
(घ). परिवार में सहयोग की कमी
(ड). उपरोक्त सभी
(च). अन्य बताएं

18. दिव्यांग व्यक्ति की शिक्षा में किए गए व्यय को आप मानते हैं।

(क). अलाभकारी व्यय
(ख). लाभकारी व्यय

(घ). उत्तर देना नहीं चाहते
(च). अन्य बताएं

19. अधिकतर परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति सदस्यों की अभिवृत्तियां होती हैं।
    (क). घृणास्पद
    (ख). सहयोग
    (ग). उत्तर देना नहीं चाहते
    (घ). पता नहीं

20. दिव्यांगजनों के प्रति पड़ोसी सदस्यों की अभिवृति होती हैं।
    (क). सहयोग
    (ख). उपेक्षित
    (ग). उत्तर देना नहीं चाहते
    (घ). पता नहीं

21. क्या दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहिए क्या आप इस बात से सहमत है।
    (क). आंशिक रूप से
    (ख). पूर्ण रूप से
    (ग). पूर्ण रूप से असहमत हूं
    (घ). कुछ कह नहीं सकते
    (ड़). अन्य बताएं

22. आप दिव्यांग व्यक्ति से विवाह नहीं करना चाहते हैं इसके क्या कारण हैं।
    (क). समाज का भय
    (ख). मेरी प्रतिष्ठा में कमी आएगी
    (ग). उत्तर देना नहीं चाहते
    (घ). पता नहीं

23. समाज में सामान्यता दिव्यांगजनों का जीवन कैसा होता है।

    (क). सरल होता है
    (ख). चुनौतीपूर्ण होता है
    (ग). उत्तर देना नहीं चाहते
    (घ). पता नहीं

24. दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के सही माध्यम हो सकते हैं।

(क). सहयोग

(ख). शिक्षा

(ग). उत्तर देना नहीं चाहते

(घ). पता नहीं

25. क्या आपकों दिव्यांग व्यक्ति के साथ रहना पसन्द है।

(क). हां

(ख). बिल्कुल नहीं

(ग). उत्तर देना नहीं चाहते

(घ). पता नहीं

26. अगर आप दैनिक जीवन में दिव्यांग व्यक्ति से संपर्क रखते हैं तब उस दिव्यांग व्यक्ति के प्रति आपकी अभिवृति कैसी रहती हैं।

(क). पूर्ण रूप से समझ सकते है ( )

(ख). सहयोग की भावना जागृत होगी ( )

(ग). आंशिक रूप से उपेछित ( )

(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )

(ङ). पता नहीं ( )

27. आपके अनुसार सहकारी संस्थानों में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार होता है ।

(क). सहयोग ( )

(ख). घृणास्पद ( )

(ग). उत्तर देना नहीं चाहते ( )

(घ). पता नहीं ( )

28. आपके अनुसार सहकारी अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के साथ व्यवहार होता है।

(क). सहयोग

(ख). घृणास्पद

(ग). उत्तर देना नहीं चाहते

(घ). पता नहीं

29. दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करना चाहिए इस विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

(क). करना चाहिए क्योंकि समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। ( )
(ख). करना चाहिए क्योंकि फिर उनका कोई मखौल नहीं करेंगे ( )
(ग). ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन निर्वाह चुनौतीपूर्ण होगा ( )
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(ड). पता नहीं ( )

30. जिन शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक रूप से सक्षम छात्र अध्यन करते हैं क्या उन संस्थानो में दिव्यांग छात्र को अध्ययन करना चाहिए।
(क). हां क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविशास बढेगा ( )
(ख). उन्हे समानता का उन्हें समानता का अनुभव होगा( )
(ग). वहां का वातावरण उनके अनुसार नहीं होगा ( )
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(ड). पता नहीं ( )

31. शारिरिक रूप से सक्षम सक्षम व्यक्ति जो दिव्यांगजनों से भेदभाव करते हैं वह भेदभाव सीखते हैं या उनमें भेदभाव विद्यमान रहता हैं।
(क). भेदभाव सीखा गया व्यवहार हैं ( )
(ख). भेदभाव विद्यमान रहता हैं ( )
(ग). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(घ). पता नहीं ( )

32. दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति शिक्षित व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिर्वतन आया है।
(क). पूर्ण रूप से परिवर्तन ( )
(ख). कोई परिवर्तन नहीं। ( )
(ग). आंशिक रूप से परिर्वतन ( )
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(ड़). पता नहीं ( )

33. क्या दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस व रिश्तेदारों की नजर से छिपा कर रखना चाहिए।
(क). ऐसा करने से दिव्यांग व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी आयेगी
(ख). दिव्यांग व्यक्ति को पड़ोस एवम् रिश्तेदारों के संपर्क में आने से समानता का अनुभव होगा
(ग). छिपा के रखना चाहिए
(घ). पता नहीं

34. किस तरह के दिव्यंगजनों से आप अंतः क्रिया करने में समस्या का अनुभव नहीं करते हैं।
(क). शारीरिक अक्षमता वाले दिव्यांगजन ( )
(ख). मानसिक अक्षमता वाले दिव्यांगजन ( )
(ग). सभी प्रकार के दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करते हैं ( )

(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(ड़). पता नहीं ( )

35. दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करने से पूर्व आप क्या कर अनुभव करते हैं।
(क). शर्मिंदगी का अनुभव ( )
(ख). समाज का भय रहता है ( )
(ग). समझ नहीं पाते क्या बात करें ( )
(घ). इनमें से कोई विचार नहीं आते ( )
(ड़). उत्तर देना नहीं चाहते ( )

36. आर्थिक रूप से सम्पन्न परिवारों में दिव्यांगजनों के प्रति कैसा व्यवहार होता है।
(क). अच्छा व्यवहार होता ( )
(ख). किसी भी परिवार में अच्छा व्यवहार नहीं होता ( )
(ग). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(घ). पता नहीं ( )

37. शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति दिव्यांगजनों से अंतः क्रिया करने में तत्पर रहते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है।
.(क). पूर्ण रूप से तत्पर रहते हैं ( )
(ख आंशिक रूप से तत्पर रहते हैं ( )
(ग). पुर्ण रूप से उपेक्षित करते हैं ( )
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(ड.). अन्य बताएं ( )

38. क्या वर्तमान समय में दिव्यांगजनों के प्रति शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों के व्यवहार प्रतिमान, एवम् अभिवृतियों में परिवर्तन हुआ है।
(क). हां पुर्ण रूप से ( )
(ख). आंशिक रूप से ( )
(ग). कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ( )
(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )
(ड़). अन्य बताएं ( )

39. वर्तमान समय में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भता बढ़ी है इस विषय में आपकी क्या राय है।
(क). तकनीकी विकाश बढ़ा है
(ख). विचारों में परिवर्तन हुआ
(ग). उत्तर देना नहीं चाहते
(घ). पता नहीं

40. दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण किस तरह से परिलक्षित होते हैं।

(क). नकारात्मक ( )

(ख). सकारात्मक ( )

(ग) उत्तर देना नहीं चाहते ( )

(घ). पता नहीं ( )

41. दिव्यांगजन प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अक्षम होते हैं इस विषय में आपकी क्या राय है।

(क). हां क्योंकि कार्य करने की छमता कम होती हैं ( )

(ख). कुछ कार्यों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ( )

(ग). उत्तर देना नहीं चाहते ( )

(घ). पता नहीं ( )

42. दिव्यांगजनों के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के विवरण में आप स्वयं को कहां पाते हैं दिव्यांगजनों के प्रति आपके विचार और धारणाएं कैसी है।

(क). आंशिक रूप से सकारात्मक विचार ( )

(ख). आंशिक रूप से उपेक्षित ( )

(ग). अन्य लोगों की अपेछा उच्च विचार ( )

(घ). उत्तर देना नहीं चाहते ( )

(ड.). अन्य बताएं